Mr. Deputy-Speaker: The result of the division is:

*'Ayes' : 41

†'Noes' : 90

The amendment is lost.

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 15, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: We now go to Shri Prakash Vir Shastri's Motion.

14.41 hrs.

MOTION *RE*: PRICE OF SUGARCANE

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव उपस्थित करने से पहले वर्तमान कृषि मंत्री श्री एस० के० पाटिल की सूझ बूझ और परिश्रम की सराहना करना चाहता हूं । आज से कुछ समय पहले इस प्रकार की भयंकर स्थिति हमारे देश को खाद्य समस्या के बारे में बन चुकी थी कि संसद के सदस्यों को विवश हो कर प्रधान मंत्री को यह शब्द कहने पड़े थे कि इस महत्वपूर्ण विभाग को वह अपने हाथों में ले लें । लेकिन जब से श्री पाटिल साहब ने अपने हाथ में यह विभाग लिया है और जिस प्रकार से अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है—मैं उसके लिए जहां उनका सराहना करता हूं वहां साथ ही साथ एक यह महत्वपूर्ण भाग जो इस मंत्रालय का है, उसके सम्बन्ध में भी आशा करता हूं कि वह उसी दूरदर्शिता और अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : चीनी उद्योग भारतवर्ष में दूसरे नम्बर का उद्योग है और इस समय कुल मिला कर १७० चीनी मिलें भारत में हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : चीनी न कहिये, शक्कर कहिये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : चीनियों से डरने की आवश्यकता नहीं है । उनका हमें मुकाबला करना है ।

श्री हरि विष्णु कामत : डरने की बात नहीं । इतनी मीठी चीज को चीनी मत कहिये ।

हां तो मैं कह रहा था कि १७० मिलें इस समय भारतवर्ष में चीनी बनती है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गन्ने की उपज ४५ लाख एकड़ से बढ़ कर ५७ लाख एकड़ हो गई है । १९६१–६२ में ६० लाख एकड़ में हिन्दुस्तान में गन्ना पैदा किया गया । लेकिन दुर्भाग्य से किसान जो गन्ना पैदा करता है, उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है ।

आरम्भ से ही गन्ने के भाव समय समय पर इस देश में बदलते रहे हैं । सब से पहले १९३४ में शुगर केन एक्ट और उसके आधीन प्रान्तों को यह अधिकार दिया गया था कि वे जितने एरिया को चाहें कंट्रोल्ड एरिया (सुरक्षित क्षेत्र) घोषित कर दें और क्वालिटी देख कर कीमतें तय कर दें । उसके बाद भी और कई इस प्रकार के हेर फेर गन्ने के भाव में किये जाते रहे । लेकिन किसान के हित में जो सब से पहले घोषणा हुई वह स्वर्गीय श्री रफ़ी अहमद किदवई की थी । उनके आधीन जिस समय यह विभाग था, उस समय उन्होंने किसान के हितों को ध्यान रखते हुए ही नहीं अपितु सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए और चीनी मिल मालिकों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की कि मोटे तौर पर अगर इस प्रकार की व्यवस्था बना ली जाए कि जितने रुपये मन

---

*Ayes: the names of two Members could not be recorded.

†Noes: the names of two Members could not be recorded.

चीनी, उतने आने मन गन्ने का भाव, तो यह अच्छा रहेगा और जितनी चीनी गन्ने में से पैदा होती है, उसको देखते हुए यह उचित भी है। उदाहरण के लिए अगर ४० रुपये मन चीनी है तो ढाई रुपये मन गन्ने की कीमत कर दी जाए, इससे किसान के हित में भी होगा और सरकार और चानी मिल मालिकों के हित में भी।

लेकिन अब जो नया एक फार्मूला तैयार होने जा रहा है और जिसके आधार पर बहुत कुछ दाम तै भी कर दिये गये हैं, वह यह है कि गन्ने से जितना रस या मिठास निकलती है, यानी जितनी रिकवरी होती है, उस आधार पर भाव तय होंगे। इसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये योजना भी बना ली गई है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इसका किसानों पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी तो आप देखें। पिछले सालों के सारे आकड़े देना तो मेरे लिए जरा इस समय कठिन हो जाएगा लेकिन १९५९–६० में जो हमारे देश में गन्ने से रस या मिठास निकला था उसमें मैसूर में १०.६० परसेंट की रिकवरी थी, महाराष्ट्र में ११.७५ परसेंट की रिकवरी थी, उत्तर प्रदेश में ९.६८ परसेंट थी और बिहार में ९.४३ परसेंट। सारे देश की कुल मिला कर ९.९१ थी। इस तरह से १० परसेंट के करीब वह बैठती थी। लेकिन टैरिफ कमिशन ने गन्ने के भाव के सम्बन्ध में जो फार्मूला तै किया है, उसमें ९.८ का फार्मूला बना कर गन्ने का भाव तय कर दिया गया है, और इसी हिसाब से मूल्य भी निर्धारित किया गया है। इसी हिसाब से शुगर मिल के दर्वाजे पर एक रुपया दस आने मन गन्ने का भाव दिया जायेगा और अगर कहीं बाहर से गन्ना आये जैसे स्टेशनों पर किसान ला कर गन्ने को अगर दे—तो उनको तीन आने कम यानी एक रुपया सात आने मन दिया जायेगा। जहां पर रिकवरी और कम है वहां मिल के दरवाजे पर एक रुपया आठ आने मन ही दिया जायेगा और अगर कहीं बाहर गन्ना दिया जायेगा तो किसान को एक रुपया पांच आने का भाव ही मिलेगा। इस बारे में पहले तो सब से बड़ी बात यह है कि मैं नहीं समझ पाया कि आप की मिलों ने जो रिकवरी दिखाई है और जिस के आधार पर भाव तय किये गये हैं, उस के सम्बन्ध में सरकार ने यह कैसे सत्य मान लिया कि उन्हों ने अपने आंकड़े सरकार को ठीक ठीक ही दिये हैं दूसरे फिर जो १ नवम्बर सन् ६२ का एक्स्ट्रा-आर्डिनरी गजट है इस में सारे देश की १७० मिलों के लिये भाव तय किये गये हैं कि कौन सी मिल गन्ने का मूल्य किस आधार पर देगी, उसे देख कर मैं हैरान रह गया कि तीन तीन मील के फासले पर गन्ने का भाव बदल गया है। उदाहरण के लिये जब आप यहां से मेरठ जायेंगे तो रास्ते में एक दौराला शुगर मिल है, उस दौराला शुगर मिल का भाव तय किया गया है १ रु० ५१ नये पैसे उस से तीन मील आगे चल कर सखोती टांडा शुगर मिल है, उस के लिये भाव तय किया गया १ रु० ५० नये पैसे। उस से थोड़ा और आगे चार मील के बाद खतौली शुगर मिल है, उस के लिये भाव तय किया गया है १ रु० ५४ नये पैसे। इसी प्रकार रुहाना शुगर मिल के लिये भाव तय किया गया है १ रु० ५० नये पैसे। उसी की बगल में देवबन्द शुगर मिल है, उस के लिये भाव है १ रु० ५६ नये पैसे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी तीन शुगर मिलें हैं। लेकिन मैं इस को पढ़ कर आश्चर्य चकित रह गया कि वहां पर दो शुगर मिलों के लिये धामपुर और सिवहारा में १ रु० ६२ नये पैसे का भाव तय किया है और उसी क्षेत्र में एक और मिल है बिजनौर शुगर मिल, उस के लिये १ रु० ५६ नये पैसे का भाव तय किया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देते समय इस बात का थोड़ा स्पष्टीकरण करने की कृपा करें कि तीन तीन मील की दूरी पर जो मिल है उस में रिकवरी किस प्रकार कम हो गई। आप सीधी सादी भाषा में इसे क्यों नहीं कहते कि या तो इन मिल मालिकों के यहां मशीनें इतनी खराब थीं कि वे ठीक से रिकवरी नहीं

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

बतला सकीं या फिर केमिस्ट और इंजीनिअर्स के, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उन के दिमाग इतने खराब थे कि वे अपनी सही रिपोर्ट नहीं दे सके ? लेकिन मशीन की खराबी या इंजीनिअरों के दोष का प्रभाव किसानों पर जा कर पड़े और तीन तीन मील की दूरी पर भाव गन्ने के बदल जायें, मैं समझता हूं कि यदि आप जैसे दूरदर्शी खाद्य मंत्री के द्वारा यह निर्णय लिया जायेगा तो देश इस को सन्तोष का विषय नहीं मानेगा ।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह कि किसान जो गन्ना पैदा करता है उस में एक एकड़ पर उस का कितना व्यय पड़ता है । मैं कुछ अनुमानित आंकड़े यहां दे रहा हूं । किसान जो एक एकड़ में गन्ना बोता है उस में ६० रु० जुताई पर खर्च होता है और एक एकड़ में ४० मन बीज बोया जाता है उस का करीब ६० रु० होता है, ईख की कम से कम खुदाई चार बार होती है जिस का भी ५० रु० के करीब खर्च बैठ जाता है, सिंचाई का खर्च ५० रु० एकड़ लगा लें, ३० रु० सरकार का लगान, फिर गन्ने की कटाई और मिल तक गन्ने को ले जाने का खर्च करीब ५० रु० हो जाता है । एक एकड़ में जो खाद पड़ेगी उस का खर्च करीब ४० रु० । इस के बाद जो अतिरिक्त व्यय होता है वह भी करीब ३० रु० आ जाता है । इस तरह से कुल मिला कर लगभग ३७० रु० एक एकड़ गन्ने की खेती पर किसान का व्यय होता है । थोड़ी देर के लिये अगर मान लिया जाये कि एक एकड़ में १० टन या २८० मन गन्ना उत्पन्न हुआ और उस २८० मन पर अगर आप उस को १ रु० १० आना मन भी दें तो एक किसान को अपनी एक एकड़ की उपज पर लगभग ४५५ रु० मिलता है जिस में से लगभग ३७० रु० उस का खर्च बैठ जाता है । इस तरह से किसान को पांच बीघे की फसल पर लगभग ८५ रु० लाभ बैठता है । इस में उस की व्यक्तिगत मेहनत भी आ जाती है । उस परिश्रम के बाद अगर उस का एक आध बैल मर जाय, जोकि आज की मंहगाई के जमाने में ५०० रु० से कम का नहीं आता है, तो वह भी सम्मिलित है, उस के बच्चों के शादी ब्याह का जो कार्यक्रम है, जिस को कि वह इसी समय के लिये रोके रहता है, वह भी सम्मिलित है, बड़े बड़े दवा दारू के खर्च, मुकदमे का खर्च, साहूकार से जो कर्ज लिया है, जिस के लिये सोचा करता था कि जब गन्ने का नकद दाम आयेगा तब वह दे देगा, वह भी आ जाता है । और फिर आज जो हमारे देश पर विपत्ति आई है उस के लिये वह गरीब उसी धन में से बचा कर वह राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिये भी धन दे रहा है । इस तरह से आप उस गरीब किसान की हालत का अनुमान तो लगाइये ।

आप मुझ से पूछेंगे कि अगर किसान को कोई विशेष लाभ नहीं होता तो फिर वह गन्ने की खेती क्यों करता है ? इतने थोड़े लाभ में कौन बुद्धिमान आदमी है जो इतना परिश्रम कर के गन्ना बोयेगा पर भारतवर्ष में गन्ने की खेती करने के तीन चार मुख्य कारण हैं । सबसे पहला कारण तो यह है कि किसान को और दूसरी फसलों से एक साथ नकद दाम उतना नहीं मिलता जैसा कि गन्ने से मिलता है । इस प्रकार से जिस जरूरतों की मैं ने चर्चा की उन की पूर्ति वह इस गन्ने के नकद पैसे से करता है । दूसरा एक बड़ा कारण यह है कि गन्ने की खेती की जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिये किसान को उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता है जितना कि दूसरे प्रकार की खेती के लिये । तीसरा कारण यह है कि गन्ने का खेत प्राकृतिक कोप का उतना शिकार नहीं होता जितना दूसरे खेत उस के शिकार हो जाते हैं । अति वर्षा या बर्फ आदि पड़ जाय तो उस से गन्ने के खेत को कोई विशेष हानि एकदम नहीं होती । इस के बाद जो सब से बड़ा कारण गन्ने की खेती करने का है वह यह कि एक बार

गन्ना बोने से वह दो बार भी फसल दे सकता है जब कि दूसरे तरह के खेतों में यह बात नहीं है। इसीलिये किसान गन्ने की खेती करना पसन्द करता है।

लेकिन सरकार की ओर से किसान के प्रति जो उदारता दिखलाई जानी चाहिये थी जिससे कि किसान को अपने काम का पूरा पारिश्रमिक मिले, वह नहीं दिखलाई गई। मोटी भाषा में मैं यह कह सकता हूं कि अगर यह मान लिया जाय कि १०० मन गन्ने के ऊपर १० मन चीनी पैदा होती है और सरकार से चीनी का मार्केट रेट इस समय ३६ रु० मन बताया जा रहा है, हालांकि वह ३६ रु० मन मिलती नहीं है, यहां दिल्ली में भी वह १ रु० २ आ० सेर बिकती है, फिर भी अगर वह रेट ३६ रु० ही मान लिया जाय, तो १०मन चीनी का मूल्य ३६० रु० हुआ। उस ३६० रु० में से १रु० ५० न० पै० के हिसाब से, जो कि आप ने गने का कम से कम कीमत इस समय रखी है, किसान के पास लगभग १५० रु० जाता है, बाकी २१० रु० जो रह जाता है उसमें सरकार और मिल मालिक आपस में साझीदार हो जाते हैं। अब आप ही थोड़ा बताइये कि क्या हिन्दुस्तान में और भी कोई इस प्रकार की इन्डस्ट्री है जिसमें जो मूल उत्पादन करने वाला व्यक्ति है उस के पास आमदनी का इतना थोड़ा सा भाग आये और जो उद्योगपति या सरकार जैसी टैक्स लेने वाली मशीन है यह इतना अधिक भाग लेले? सरकार उस में जो एक्साइज ड्यूटी लेती है उस एक्साइज ड्यूटी के बारे में मैं आपको बतलाऊं कि सन् १९३४ में गन्ने के ऊपर ९४ न० पै० उत्पादन कर था और अब हमारे देश में सन् १९६२ में १० रू० ७० न० पै० उत्पादन टैक्स लगाया गया है। इतना टैक्स लगाये जाने के पश्चात् भी हमारे किसान को लाभ कितना मिलता है?

मैं इससे भी आगे बढ़ कर एक और बात कहना चाहता हूं कि किसान के भाग्य की विडंबना तो देखिये कि जिस किसान के लिये सरकार दिन रात यह घोषणा करती है कि हम किसानों के हित में ही कानून बना रहे हैं यह किसानों की ही सरकार है और किसानों के हित में सदा अच्छे निर्णय लेगी, उस सरकार के शासन में जलाने वाली सूखी लकड़ी का भाव तो ३ रू० ५० न० पै० मन है और किसान के गन्ने का भाव १ रू० ५० न० पै० है या १ रू० ६२ न० पै० है। दूसरी बात यह है कि जो भी नई फसल किसान के घर में आती है, जैस कि गन्ना, रूई, गेहूं आदि वह जिस समय तक किसान के घर में रहती है तब तक उस का मूल्य आधा रहता है और जैसे ही किसान के घर से निकलकर बाजार में चली जाती है या व्यापारियों के हाथ में चली जाती है, उसी वक्त उस का दाम दुगुना हो जाता है। इस स्वतन्त्र देश में इस प्रकार के गलत कानून और इस प्रकार की परम्परायें कब तक जनता सहन करेगी? इसलिये अभी मौका है, इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर लेना चाहिये।

इसके बाद जो रिकवरी के आधार पर गन्ने के दाम तय किये जा रहे हैं, अर्थात, गन्ने में कितनी मिठास बैठेगी, इस के आधार पर जो आप उसका मूल्य निर्धारित करने जा रहे हैं उस से होने वाली हानियों की भी कुछ चर्चा मैं यहां करना चाहता हूं। सब से पहली बात तो यह है कि सरकार ने जो यह घोषणा की है कि इससे किसान गन्ने की क्वालिटी को सुधारेगा, उसकी नसल को सुधारने की कोशिश करेगा, उस के सम्बन्ध में क्या मैं अपने खाद्य मंत्री जी से यह निवेदन कर सकता हूं और वह अपना उत्तर देते समय इस का कोई सन्तोषजनक उत्तर दें कि मान लीजिये एक किसान ने गन्ने की फसल को सुधारने का काम मेहनत से किया, दूसरे किसान ने जिस तरह से वह पहले भी गन्ने की खेती करता था उसी तरह किया लेकिन मिल में आ कर राम सिंह और श्याम सिंह दोनों का गन्ना एक साथ

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

पेरा गया फिर जब उस के बाद गन्ने की रिकवरी का पता लगाया जायेगा और उस का मूल्य तय किया जायेगा तो इस तरह से दोनों के साथ न्याय कैसे हो सकेगा ? जिस किसान ने गन्ने की नस्ल को सुधारने का काम बिल्कुल किया उस को भी उतना ही दाम मिले और जिस ने नस्ल सुधारने का काम नहीं किया उस को भी उतना ही दाम मिले तो उस तरह नस्ल सुधारने वाले को क्या प्रोत्साहन सरकार की ओर से मिला ? जब सब धान २७ सेर होंगें तो फिर किस प्रकार किसानों में एक दूसरे से होड़ लगा कर आगे बढ़ने की भावना पनप सकेगी ? मैं ने दूसरे देशों के सम्बन्ध में, जहां पर गन्ना अधिक होता है या जिन देशों में मेन इंडस्ट्री शुगर की है, जैसे कि इंडोनेशिया है, पता लगाने का यत्न किया है। इंडोनेशिया में गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि जो भी मिलें होंगी वे किसानों के साथ फस्लों का ठेका कर लेंगी। ठेका करने के बाद जो वहां के अधिकारी होते हैं वे जाते हैं और समय समय पर उन की फसलों की देख रेख करते रहते हैं। देख रेख के अतिरिक्त किसानों को आवश्यक सुझाव भी वही देते रहते हैं, खाद आदि का सुविधा भी देते हैं। फिर जब फसल तैयार हो कर आ जाती है तो शुगर मिल के मालिक एक किसान का गन्ना एक साथ पेर देते ह। उसमे उनको पता लग जाता है कि उस किसान की फसल में इतनी रिकवरी हुई और उसके आधार पर उसको मूल्य मिल जाता है। लेकिन यहां तो सब का गन्ना एक साथ लिया जायेगा और उसके बाद रिकवरी लगायी जायेगी। तो मैं नहीं समझ पाया कि हर किसान के साथ किस प्रकार न्याय हो सकेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस गन्ने के मूल्य के मिलने तक किसान अपने बहुत से काम रोक कर रखता है। जहां तक रिकवरी का प्रश्न है, वह जब गन्ने की फसल प्रारम्भ होती है और जब वह समाप्त होने को होती है तो रिकवरी कम रहती है, बीच के महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में रिकवरी अच्छी होती है। यदि आप शुरू से अन्त तक की रिकवरी लगायेंगे तो किसान के साथ न्याय कैसे करेंगे ? आपको यह भी बताना चाहिये कि किन महीनों की रिकवरी के आधार पर उसको मूल्य दिया जायेगा। और फिर मान लीजिये कि आपने मध्य के ही तीन महीनों के आधार पर रिकवरी निश्चित कर दी। तब भी तो एक बहुत बड़ी कठिनाई यह होगी कि उसको तीन महीने तक अपने गन्ने के मूल्य के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि जब तीन महीने की रिकवरी के आंकड़े आ जायेंगे तब उनके आधार पर मूल्य निश्चित किया जायेगा। तो इतने समय तक उसको अपने आवश्यक कार्यों को रोक कर रखना पड़ेगा। आप यह भी जानते हैं कि भारतवर्ष के किसान की आर्थिक अवस्था कैसी है। चाणक्य ने लिखा है कि स्वस्थ राजा की प्रजा की क्या पहचान होनी चाहिये। उसकी यह स्थिति होनी चाहिये कि

आपदर्थे धनं रक्षेत्

अर्थात् उसकी ऐसी स्थिति होनी चाहिये कि आपत्काल के लिये उसके पास कुछ धन जरूर बचा रहे। लेकिन क्या हम अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कह सकते है कि हमारे देश के किसान की आज यह स्थिति है कि वह आपत्काल के लिये कुछ धन सुरक्षित करके रख सके। हमारे किसान की अवस्था तो यह है कि वह रोज कुंवा खोदता है और रोज पानी पीता है। अगर उसकी रिकवरी के निर्धारित होने में ही इतना समय लगेगा तो उसको और भी भारी हानि बैठेगी।

तीसर बात इसी सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे बताया गया है हिन्दुस्तान में कुछ ऐसी हलकी मनोवृत्ति

वाले व्यक्ति भी है जो कि गन्ना तोलने वालों को संकेत दे देते है कि गन्ना तोलने में सावधानी बरती जाये । उसका परिणाम फिर यह होता है कि सारे सीजन में किसान का लाखों मन गन्ना बिना मूल्य दिये चला जाता है । यदि उसमें कुछ भी सचाई है तो फिर जब रिकवरी के आधार पर मूल्य निश्चित किया जायगा तो किसान को जो कि अधिकतर अनपढ़ होते हैं, क्या पता चलेगा कि रिकवरी ठीक निकली है या नहीं । हो सकता है कि वे कम रिकवरी दिखलावें । तो इस प्रकार भी किसान के साथ अन्याय होगा ।

एक और महत्वपूर्ण बात इस सम्बन्ध में यह है कि गन्ने के रस का तो उसको मूल्य थोड़ा-बहुत मिल जायेगा लेकिन गन्ने से रस निकलने के बाद जो खोई निकलती है जोकि मिल में ईंधन का काम देता है और कुछ मिलों ने इसका कागज बनाने की भी योजना बनायी है, उसका मूल्य भी गन्ने के मूल्य में सम्मिलित होगा या नहीं ?

अंत में मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि दूसरे देशों में गन्ने पैदा करने वाले किसानों को किस प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं । इंडोनेशिया के बारे में मैं बता ही चुका हूं । मैक्सिको में किसान को करीब ५० प्रतिशत फैक्टरी के माल पर तथा बाई-प्रोडक्ट्स पर ५० फी सदी दिया जाता है । फिलिपाइन्स में किसान को ५० से ६० प्रतिशत तक भाग दिया जाता है, मौरिशश में किसान को उसकी उपज का टैस्ट देख कर २/३ हिस्सा दिया जाता है ।

दूसरी बात यह कहनी है कि हमारे देश की स्थिति यह है कि पहली योजना में गवर्नमेंट ने गन्ने के सैस से ३०–५७ करोड़ रुपया वसूल किया । लेकिन केवल १० करोड़ गन्ने के विकास पर लगाया जिसमें सिंचाई और सड़क विकास कार्य भी सम्मिलित हैं । दूसरी योजना में सरकार ने गन्ने के सैस से ४८–०७ करोड़ रुपया वसूल किया और खर्च किया केवल ११ करोड़ । और तीसरी योजना में गन्ने के सैस का अनुमान ६० करोड़ रुपया रखा गया है ।

कुल राजस्व गन्ना उपकर और गन्ना उत्पादक कर दूसरी प्लान में लगभग २५० करोड़ था, तीसरी प्लान में लगभग ३६० करोड़ रखा गया है । लेकिन तीसरी योजना में गन्ना और सड़क विकास में खर्च लगेगा केवल १०० करोड़ रुपये और दो अरब ६० करोड़ रुपये सरकार अपने खजाने के लिये सुरक्षित कर रही है । तीसरी योजना में जो गन्ना विकास के लिए १०० करोड़ रुपये रखा गया है उसमें लगभग ७३ परसेंट सिंचाई तथा विद्युत् व्यय भी शामिल है और इसमें दूसरी खेती का उत्पादन भी शामिल होगा । हम देखते हैं कि दूसरे देशों की सरकारें अपने देश के किसानों को कितनी अधिक सुविधाएं दे रही हैं भारत की सरकार, जो कि किसान के हित का इतना जोर से नारा बराबर लगाती है, वह किसानों के हित का इस प्रकार अपहरण कर रही है, मैं समझता हूं कि यह महान दुख की बात है ।

इसलिए मेरा बड़ी नम्रता के साथ निवेदन है कि जो आपने फारमूला तैं किया है उसको अभी इस संकटकाल में स्थगित करें जैसे और भी अनेकों कार्यक्रम इस समय स्थगित किये जा रहे हैं । और इसके बाद जब आप इस पर निर्णय लें तो किसानों के प्रतिनिधियों को भी बुलायें और मिल मालिकों के प्रतिनिधियों को भी बुलायें । प्रायः होता यह है कि मिल मालिक और सरकार के प्रतिनिधि बैठ कर निर्णय कर लेते हैं और किसान की उपेक्षा कर दी जाती है । ऐसा नहीं होना चाहिए । किसान इस उद्योग का सब से बड़ा भागीदार है उसकी इस प्रकार उपेक्षा होना अच्छी बात नहीं प्रतीत होती । मेरा विश्वास है कि वर्तमान कृषि मंत्री श्री पाटिल उदारता और गम्भीरता से इस सम्बन्ध में निर्णय लेंगे ।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं जो इस प्रकार है :—

"That this House takes note of the fixation of price of sugarcane on the basis of production of sugar."

15 hrs.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That this House takes note of the fixation of price of sugarcane on the basis of production of sugar."

There is an amendment by Shri Bibhuti Mishra. He may move his amendment and speak.

There is a large number of speakers. So, I would request the hon. Members to confine themselves to seven or eight minutes each.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): I beg to move:

That at the end of the Motion, the following be added, namely:—

"and resolves that the operation of the Government order fixing the price of sugarcane be stayed until Government provides the cane growers with seed, equipment etc. for production of quality sugarcane."

उपाध्यक्ष महोदय, पाटिल साहब ने गन्ने का मूल्य दिसम्बर से मार्च तक की रिकवरी पर जो निर्धारित किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । लेकिन इसके सम्बन्ध में मैं एक खास बात बतलाना चाहता हूं । मेरे अपने जिले में नौ शुगर फैक्टरियां हैं । इन नौ शुगर फैक्टरियों में से एक में किसान को एक रुपया आठ आना मिलेगा, एक फैक्टरी में एक रुपया सवा दस आना मिलेगा । हालत यह है कि एक ही जगह में कुछ मील के फासले पर मिलें हैं । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुगौली शुगर फैक्टरी में एक रुपया ५१ नये पैसे मिलेंगे, उसी की बगल में बारह मील के फासले पर मोतिहारी शुगर मिल है उस में १ रुपया ६३ नया पैसा मिलेगा और उसके ६ मील के फासले पर मझवलिया शुगर मिल है जिसमें एक रुपये ६३ नये पैसे मिलेंगे । तो आप देखें कि एक मिल में १ रुपया ५१ नया पैसा मिलेगा और उसी के बगल में ६ मील के फासले पर दूसरी शुगर मिल में १ रुपया और ६३ नया पैसा मिलेगा । ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि किसान अपना गन्ना सुगौली मिल में नहीं ले जाना चाहेगा और मोतिहारी और मझवलिया मिलों में ले जाना चाहेगा । इस में फ्री एरियावालों को फायदा होगा और रिजर्व एरिया वालों को घाटा होगा । इस साल पिछले साल से गन्ने की फसल ३५ परसेंट कम हुई है । इसलिए हर मिल वाला यह चाहेगा कि वह ज्यादा से ज्यादा गन्ना खरीद ले । नतीजा यह होगा कि जो फ्री एरिया वाले हैं वे अपना गन्ना सुगौली मिल को नहीं ले जायेंगे और मोतिहारी और मझवलिया मिलों को ले जायेंगे । और इस प्रकार जो रिजर्व एरिया वाले हैं उनको दो आने मन कम मिलेगा । रिजर्व एरिया वालों पर काननन पाबन्दी है इसलिए उनको नुक्सान होगा । मेरा ख्याल है कि किसान को कहीं दो आने मन, कहीं सात पैसे मन और कहीं एक आने मन कम मिलेगा, उस किसान को जो कि रिजर्व एरिया वाला है । यह कहां तक उचित है । आपने जो अपने एक नवम्बर सन १९६२ के नोटिफिकेशन के अनुसार मूल्य निर्धारित किया है उससे मेरे जिले की जो नौ मिलें हैं उनके द्वारा दिये जाने वाले मूल्य में फर्क रहेगा और इससे रिजर्व एरिया वाले किसानों को हानि पहुंचेगी । एक किसान को अपने गन्ने का मूल्य एक रुपया ५१ नये पैसे मिलेगा और दूसरे को एक रुपया ६३ नये पैसे । और इन मिलों में ६ मील का फासला है ।

तो इसमें किसान का कैसे भला होगा । जो किसान रिजर्व एरिया का है उसको मन पीछे दो आना गन्ना का दाम कम मिलेगा । सरकार ने रिकवरी के आधार पर यह फैसला तो कर दिया लेकिन किसान को अभी तक कोई सुविधा नहीं दी है, न अच्छा बीज दिया है, न अच्छा खाद दिया है और न कोई और सुविधा दी है । इस प्रकार रिकवरी पर मूल्य निर्धारित करके सरकार ने किसानों के साथ उचित बर्ताव नहीं किया है ।

इसके आगे मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां हरिनगर शुगर मिल में गन्ने का दाम १ रुपया ६६ पैसा प्रति मन मिलेगा, बगहा में १ रुपया ५७ पैसा मिलेगा और लौरिया में १ रुपया ५३ नया पैसा मिलेगा । नतीजा यह होगा कि जितना फ्री एरिया का किसान है वह हरिनगर में अपना गन्ना ले जाएगा । इस साल गन्ने की फसल कम हुई है । इसलिए बगहा और लौरिया को गन्ना नहीं मिलेगा और जहां तक रिजर्व एरिया के किसानों का सम्बन्ध है उनको प्रति मन दो ढाई आने का घाटा रहेगा ।

एक ही सरकार है एक ही किसान है, एक जगह उसको ज्यादा पैसा मिलता है दूसरी जगह कम पैसा मिलता है ।

एक बात मैं बतलाना चाहता हूं कि रिकवरी के साथ साथ दो चीजों का ख्याल नहीं रखा गया है । एक तो प्रैसमड है और दूसरी छोआ है जिसको कि अंग्रेजी में मोलासेज़ कहते हैं । मैंने देखा है कि टायरका प्रैसमड १२ रुपये का मिलता है । अब इन चीजों की कीमत इसमें नहीं जोड़ी गई है । रिकवरी के ऊपर दाम रखने में यह छोआ और प्रैसमड का दाम किसानों को नहीं मिलता है । मैं चाहता हूं कि सरकार इसको भी देखे ताकि किसानों का भला हो ।

आगे मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किसानों को गन्ने का दाम यह जो रिकवरी के ऊपर देने का सिद्धान्त रक्खा गया है, दूसरे देशों में बड़े बड़े फार्म्स हैं, सरकार ने पसन्द किया कि फ़लाने आदमी का गन्ना हम लेंगे और उसका गन्ना लेने के बाद वहां की सरकार क्रश करती है और उसकी रिकवरी के ऊपर उसकी कीमत ठीक करती है । लेकिन हमारे यहां छोटे छोटे किसान हैं और छोटे-छोटे किसान अपना गन्ना देते हैं । सब किसानों का गन्ना एक साथ पेरा जायेगा । अब इसमें जिस किसान का अच्छा क्वालिटी का गन्ना है और जिस किसान का खराब क्वालिटी का गन्ना है, सब गन्ना मिलाकर एक साथ पेरा जायेगा । नतीजा यह होगा कि एक साथ रिकवरी निकाली जायगी और एक साथ क़ीमत तय की जायेगी । हमारे यहां कहावत है :—

"अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी,
टके सेर खाजा ।"

यह कहवात गन्ने के बारे में चरितार्थ हो रही है । अच्छे और खराब गन्ने को इकट्ठा करके एक साथ पेर दिया और खराब गन्ना पैदा करने वाले और अच्छा गन्ना पैदा करने वाले दोनों किसानों को एक ही दाम दिये जायें, यह कोई उचित बात नहीं है । इसलिए मैं कहूंगा कि पाटिल साहब इसके ऊपर ध्यान दें और इसको कम से कम रोक दें ।

हमारे यहां ६ शुगर फैक्टरीज़ हैं । अब यह रोजगार हम लोगों का प्राण है । मेरे जिले में जहां पहले १०, १० मील तक पक्के मकान नहीं दिखाई देते थे, इन नौ शुगर फैक्टरीज़ के आने के परिणामस्वरूप आज पक्के मकान दिखाई देते हैं । किसानों की हालत बदल गई है ।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बहुत से कारखाने ऐसे हैं जो कि पुराने ढंग

[श्री विभूति मिश्र]

के हैं । उनके यहां रिकवरी अच्छी नहीं निकलती है । बहुत से कारखाने ऐसे हैं जो कि नये ढंग के हैं और जिनके यहां रिकवरी अच्छी मिलती है । इसलिए सरकार को चाहिए कि जो कारखाने पुराने और ख़राब हैं उनको मौडरनाइज़ करे ।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कोई तो किसान २० मील से गन्ना लाता है, कोई किसान ५ मील से गन्ना लाता है । जो २० मील से गन्ना लाता है उस किसान का गन्ना सूख जाता है और उसमें रिकवरी अच्छी नहीं आती है लेकिन वह किसान जो ५ मील से गन्ना ले आता है उसके गन्ने में अच्छी रिकवरी आती है । अब दोनों को एक साथ में मिला कर पेरा जाय और दोनों को एक कीमत दी जाय यह किसान के साथ गैर मुनासिब काम किया जाता है । हमारे पाटिल साहब ने यह सिद्धान्त रखा हुआ है लेकिन मैं उनसे चाहूंगा कि कम से कम आज की संकट-कालीन अवस्था में इसको रोक दें । अगर वे इसको नहीं रोकते हैं तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिस फैक्टरी में कम दाम मिलेगा वहां वह न ले जाकर उस फैक्टरी में अपना गन्ना ले जायेंगे जहां कि उन्हें अच्छा दाम मिल सकता है । अब इससे मिल वालों और किसानों में बड़े झगड़े पैदा हो जायेंगे और फौजदारी होगी । मिल वाले उनके ऊपर मुकद्दमा करेंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार और पाटिल साहब जो कि किसानों के बड़े शुभचिन्तक हैं, इस प्राइस फ़िक्स करने के आर्डर को अभी स्थगित करें ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । इस सदन में पिछले कितनी बार गन्ने के दाम के निर्धारण के बारे में बहस हुई है । खाली बहस ही नहीं हुई है अपितु उत्तर प्रदेश में और दूसरे सूबों में कई बार आन्दोलन हुए । पिछली दफ़ा मेरठ, गोरखपुर और देवरिया में तमाम गन्ने के इलाकों में किसानों की बहुत बड़ी तादाद जेल में गई और बराबर इस बात के लिए लड़ाई होती रही कि गन्ने का दाम दो रुपये मन किया जाय । हमारी उत्तर प्रदेश की असेम्बली ने और बिहार की असेम्बली ने प्रस्ताव भी पास किये । इसके अलावा पिछली दफ़ा जब इस ऐक्ट के ऊपर बहस हुई तो सरकारी पक्ष के लोगों ने और विरोधी पक्ष के लोगों ने, सब ने इस बात के लिये खाद्य मंत्री महोदय से निवेदन किया कि गन्ने का दाम तय करने से पहले तमाम लोगों को बुलाया जाय और रिकवरी के आधार पर गन्ने का दाम तय न किया जाय । लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि खाद्य मंत्री क्यों इस के ऊपर अड़े हैं ? लगातार बात करने के बाद भी उन्होंने अपनी मनमानी की और नतीजा यह हुआ कि आज किसानों के गन्ने के दाम रिकवरी के आधार पर तय कर दिये गये हैं । मैं समझता हूं कि हमने अपने देश में समाजवादी समाज की स्थापना का जो लक्ष्य निर्धारित किया है और हम यह ऐलान करते हैं कि हम देश में से अमीर और ग़रीब का भेद समाप्त करेंगे, वह सरकार की गन्ने की मौजूदा रिकवरी की पालिसी से पूरा नहीं होने वाला है ।

आज किसानों की एक मात्र मनीक्रौप गन्ना है और गन्ने की खेती के अलावा दूसरी कोई पैदावार नहीं है जिससे कि किसान अपनी मालगुजारी और लगान अदा कर सके । सिर्फ गन्ना ही है जिसको कि बेचकर वह मालगुजारी और लगान वगैरह अदा कर सकता है । आज किसान के गन्ने के दाम घटाने के नाना प्रकार के कुचक्र बराबर रचे जा रहे हैं जिसके कि फलस्वरूप यह फल हम

को देखने को मिलता है । मेरा यह ख्याल है कि माननीय मंत्री महोदय को किसानों की तरफ मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिये क्योंकि हमारे देश की रीढ़ किसान ही है और अगर किसानों की आमदनी गिरती है अगर उन के पास खरीदने की शक्ति कम होती है तो लाजमी तौर पर इसका बुरा प्रभाव सारे देश की अर्थ व्यवस्था पर पड़ेगा । इसलिये जिद से काम न लेकर दरअसल सरकार को गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे किसानों को नुक्सान न हो और उनको उनकी काश्त के वाजिब दाम मिलें ।

पिछली दफे टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट की बात कही गयी । टैरिफ कमिशन जब बिठाया गया तो उस के टर्म्स आफ रेफ्रेंस में यह नहीं दिया गया कि गन्ने का उत्पादन मूल्य क्या है, गन्ना उत्पादन करने में खर्चा कितना पड़ता है इस का टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट में जिक्र नहीं है । खुद टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट के तीसरे पन्ने में कहा गया है :—

> "Nor we are called upon to determine a fair price for sugarcane on the basis of their cost of production."

उन को यह भी नहीं कहा गया कि वह इस चीज का पता करते कि दरअसल गन्ने की पैदावार पर खर्च कितना पड़ता है । इसलिये मेरा यह ख्याल है कि मंत्री महोदय इसको फिर से टैरिफ कमीशन के सुपुर्द करें और वह इस बात को देखें कि गन्ने की पैदावार का खर्चा क्या पड़ता है और तब भाव के बारे में तय करें । अगर ऐसी बात नहीं होती है तो लाजिमी तौर पर रिकवरी के आधार पर जो गन्ने का दाम तय किया गया है उस से हमारे देश के किसानों का बड़ा नुक्सान होने वाला है ।

जैसा कि हमारे साथी श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने आप को बताया गन्ने की पैदावार करने में कितना खर्च पड़ता है, पहले से ज्यादा बैलों के दाम, सिंचाई मंहगी, खाद मंहगी और लेबर मंहगी है जिसका कि नतीजा यह है कि लाजिमी तौर पर किसानों का पहले गन्ना पैदा करने में जितना खर्च होता था अब उस के मुकाबल उन को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है । किसानों की जो हालत हो रही है अगर उन के गन्ने के दाम इस तरीके से गिरते जायेंगे तो उन की परेशानियां और बढ़ेंगी ।

सब से आश्चर्य की बात यह है कि मंत्री महोदय ने पिछली दफा भी अपनी स्पीच में कहा कि हम किसानों के हित में रिकवरी वाली पालिसी बना रहे हैं । लेकिन मैं उन को बतलाना चाहता हूं और जैसा कि एक भाई ने बतलाया कि एक किसान अच्छा गन्ना पैदा करता है और दूसरा किसान खराब गन्ना पैदा करता है उन दोनों को एक साथ पेरा जायेगा और दोनों को मिला कर प्राइस फिक्स की जायेगी और इस में सबसे कमाल की बात यह है कि रिकवरी जो होगी वह पिछले साल के पांच, छै महीने के आधार पर दी जायगी, इस साल की ईल्ड के ऊपर नहीं दी जायेगी । इस साल चाहे कितना अच्छा गन्ना पैदा हो लेकिन गन्ने के दाम पिछले ५, ६ महीने में जो रिकवरी है उस के आधार पर तै किये जाने हैं । मैं समझता हूं कि यह बड़ा अन्यायपूर्ण मामला है और इस को सरकार को किसानों का हित ध्यान में रखते हुए तय करना चाहिये । यह मोटी बात है और जैसा कि अभी शास्त्री जी ने भी कहा कि यह एक आम बात होती है । किसान भी इस बात को जानते हैं कि जितने आने मन गन्ना होगा उतने ही रुपये मन चीनी होगी । अगर चीनी का दाम ३७ रुपये या ४० रुपये मन हो तो गन्ने का दाम ढाई रुपये मन होना चाहिये और अगर ढाई रुपये मन न हो तो कम से कम दो रुपये मन तो होना ही चाहिये । अगर गन्ने का दाम २ रुपये मन हो तब भी मिल वालों को मुनाफा रहता है ।

अब यह रिकवरी के आधार पर जो गन्ने के दाम तय किये जाने हैं तो रिकवरी शुरु

[श्री सरजू पाण्डेय]

के महीनों में कम होती है । नवम्बर में कम होगी, दिसम्बर में भी कम होगी । जनवरी में कुछ होगी, फरवरी में होगी और फिर मार्च के दूसरे पखवाड़े और अप्रैल में गिर जायेगी । महीने, दो महीने में कितना गन्ना दे पायेंगे ? इससे किसानों को इतना दाम भी नहीं मिल सकेगा जितना कि वह पैदा करते हैं । इसलिये हम को सोचना चाहिये कि गन्ने का दाम जब हम तय करते हैं तो इन सारी चीजों को देखें कि दरअसल गन्ने का दाम तय करते समय हम सारी चीजों का हिसाब लगायें ।

आज चूंकि मुल्क संकट-कालीन स्थिति से गुजर रहा है इसलिये यह और भी जरूरी हो जाता है और जैसा कि माननीय सदस्य श्री विभूति मिश्र के अमेंडमेंट में कहा गया है सरकार का शुगरकेन की प्राइस फिक्स करने का आर्डर फिलहाल उस वक्त तक स्थगित रक्खा जाये जब तक कि सरकार गन्ने के काश्तकारों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध नहीं कर देती । जब तक उनको आवश्यक सुविधायें नहीं देती है तब तक यह रिकवरी के आधार पर गन्ने की कीमत तय न की जाये । मैं माननीय मंत्री जी से कहूगा कि इस संकट-कालीन स्थिति में वह ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें, जिसमें हमारे देश के किसानों को—विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को, जहां कि भयानक गरीबी है—परेशानी उठानी पड़े । इस सदन में ही एक माननीय सदस्य ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की दशा का चित्र उपस्थित किया था । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, देवरिया, ये तमाम जिले ऐसे हैं, जहां बहुत गरीबी है और उस गरीबी में गन्ना ही एक सहारा है । इसलिये माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव को तब तक के लिये स्थगित कर दें, जब तक कि फिर से टैरिफ कमीशन को न बिठाया जाये और सब वर्गों के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय कर के और इस बारे में पूरी तरह से जांच कर के गन्ने का उत्पादन-मूल्य निर्धारित न कर दिया जाये ।

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh (Parbhani): Sir, I welcome the motion moved by Shri Prakash Vir Shastri. I come from a State which has got the largest number of cooperative sugar factories and the cost of sugarcane and sugar adversely affects an average cultivator in Maharashtra more than it affects Punjab, U.P. or Gujarat, because in Punjab, U.P. and Gujarat, the cultivator can cultivate cash crops which match sugarcane in profits or which give even more profits. But in Maharashtra, the pattern of cultivation is such that if the cultivators switch over from the pattern of sugarcane cultivation to any other pattern of cash crop, it is certain to affect adversely the interests of the cultivators and this switch-over can be damaging also. So, the question of sugarcane price fixation is most vital for Maharashtra.

As pointed out by Shri Prakash Vir Shastri, it is really strange that whereas the price of dry wood in this country is about Rs. 3·8 per maund, sugarcane should fetch Rs. 1·62 per maund. In the 1959 season, I have seen several cultivators whose cane could not be sold at the factory site converted it into raw sugar or *gur* and the cost of gur per maund was such that the total cost recovered by them did not even exceed the cost of fencing which the cultivators had to incur to cultivate the sugarcane.

The majority of cultivators in Marathwada depend on well irrigation, which is by any standard the costliest form of irrigation for any cultivator. When a cultivator cultivates about 10 acres of sugarcane with two wells, he has to incur expenses which amount to ten times the sugarcane cost which he gets if it is converted into *gur*, as the *gur* prices were the lowest in 1959-60. It can be easily imagined as to what would be

the fate of the cultivator. The price of sugarcane has been linked with the percentage of sugar in a way which is not ordinarily explainable.

When the minimum price of sugarcane rose from Rs. 1-7-0 to Rs. 1-10-0 per maund, there was a record increase in the areas under sugarcane cultivation. There was a record increase of 5.9 lakh acres and the production was something like 2.9 million tons of sugar. It was claimed that there has been a phenomenal rise in sugarcane cultivation and sugar production because the minimum price of sugarcane was increased from Rs. 1-7-0 to Rs. 1-10-0. But when the minimum price remains at Rs. 1-10-0 in the current year, Government fails to explain why there has been a fall in the total sugar production from 2.9 million tons in 1959-60 to 2.66 million tons. The only explanation is the strange phenomenon linking the price of sugarcane with the percentage of sugar recovery.

The Minister of Food and Agriculture (Shri S. K. Patil): It has not yet been linked.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: The moment Government published its plan to link the cost to the irreducible minimum of Rs. 1.62 or something like that, it resulted in a net fall in production from 2.9 million tons to 2.66 million tons. I think any Government should learn the lessons which are very evident and crystal clear.

In Maharashtra, we have got nearly 12 per cent recovery of sugar. One Maharashtrian industrialist, Mr. Dahanookar, has got as much as 15 per cent of sugar yield. A man who has got 15 per cent yield, which is the maximum, gets Rs. 2 or Rs. 2.25 per maund of sugarcane. To achieve this yield of 15 per cent, as compared to the all-India average of 9.8 per cent, he has to invest at least ten times the increase in cost which he gets. So, the only thing that Government should look into is that the cost of sugarcane and sugar should be remunerative to the cultivator. Even if it is not remunerative, at least he should be able to make good the losses which he incurs. The cost of irrigation in Maharashtra is anywhere between Rs. 40 and Rs. 140 per acre, whereas it is only Rs. 14 in U.P. The cost of irrigation, the cost of fertilisers, the cost of transport, etc. are all to be taken into consideration.

The formula of sharing the profits out of sugarcane yield has not been satisfactorily worked out to the benefit of the cultivator. On the one hand Government wants to stay the programme for sharing profits of sugar industry and on the other, wants to link price of sugarcane with the recovery. This is not ordinarily explainable.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस इलाके से आता हूं, जो हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा गन्ना पैदा करता है । माननीय खाद्य मंत्री अभी तक हमारी दिक्कतों को समझ नहीं सके हैं । हमारी सब से पहली दिक्कत यह है कि जब हम दस दस, बीस बीस मील के फासले पर अपना गन्ना ले कर जाते हैं, तो बजाय इसके कि हम को इनाम मिले, गवर्नमेंट, सोसायटी और ठेकेदार हम से दो आने, चार आने मन काट लेते हैं । सब से पहले तो हमारी यह दिक्कत हल की जानी चाहिये--किराया मिल-मालिक दें, हम को किराया न देना पड़े ।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि रिकवरी के ऊपर गन्ने की कीमत दी जायगी । क्या मिल मालिक हम को रिकवरी के सही दाम दे सकता है ? इसी सदन में यह बात मान ली गई थी कि हिन्दुस्तान का पूंजीपति सरकार को दिये जाने वाले टैक्सों में २५० करोड़ रुपये इवेड करता है । जो आदमी गवर्नमेंट की आखों में धूल झोंक कर इतनी बड़ी रकम चुरा लेता है और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है और आज तक गवर्नमेंट जिस से किसी भी हालत में वह टैक्स वसूल

[श्री यशपाल सिंह]

नहीं कर सकी है, क्या वह अनपढ़ काश्तकार से यह उम्मीद करती है कि वह उस मिल-मालिक से रिकवरी के पूरे दाम ले लेगा और मिल-मलिक उस को रिकवरी के पूरे दाम दे देगा ।

इसलिये "रिकवरी" लफ्ज को हटा कर गन्ने की कीमत दो रुपये मन कर दी जाये । प्राइस को रिकवरी के साथ लिंक करने का मतलब तो यह है कि हम को मिल-मालिक के रहमो-करम पर छोड़ दिया गया है और हमें मिल-मालिक की मर्जी पर जिन्दा रहना होगा । इसलिये गन्ने की कीमत कम से कम दो रुपये मन होनी चाहिये ।

जब मैं यू० पी० असेम्बली में था, तो वहां मैंने कोशिश की थी और वहां से १ रुपये १२ आने मन का भाव तय करवा कर भेजा था । उसको वहां की कांग्रेस गवर्नमेंट ने भेजा था और उस पर गवर्नमेंट के दस्तखत थे । जब वह मामला यहां पर सरकार के हजूर में आया, तो हमारी उस मांग को ठुकरा दिया गया और १ रुपये १२ आने मन के बजाय १ रुपये ७ आने मन का दाम तय किया गया ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों की दिक्कत को समझा जाये । जब हम लोग दिन-रात मेहनत कर के गन्ना पैदा करते हैं, तो हम को उस का पूरा मूल्य मिलना चाहिये । अगर माननीय खाद्य मंत्री चाहें, तो वह इस मामले को दो दिन में हल कर सकते हैं । पिछले दिनों जब इस सदन में डिफेंस पर बहस चल रही थी, तो मैंने कहा था कि खाद्य मंत्री ने यह साबित कर दिया है कि उन के दिलो-दिमाग का दूसरा आदमी हिन्दुस्तान में नहीं है और अपनी प्रतिभा और बेमिसाल बहादुरी से उन्होंने खाद्य के उस मसले को हल कर दिया है, जिसके बारे में यह समझा जाता था कि वह हल नहीं हो सकता है । पिछले हफ्ते मैंने भी कहा था कि अगर श्री एस० के० पाटिल के हाथ में इस देश का डिफेंस होता और वह हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते, तो हम को यह बुरा दिन न देखना पड़ता । जब इतने बड़े बड़े मसले हल किये हैं तो गन्ने का यह छोटा सा मसला कैसे हल नहीं हो सकता है । किसान आज दुखी है । एक तरफ आप कहते हैं कि आप किसान के बन्धु हैं, आप किसान के हमदर्द हैं, किसान के खैरख्वाह हैं दूसरी तरफ आप किसान को उसके गन्ने का उचित भाव नहीं देते हैं । किसान दिन रात खून पसीना एक करके गन्ना पैदा करता है, पैदावार करता है उसको तो उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है मगर दूसरी ओर जो मिल मालिक हैं वे करोड़पति होते जाते हैं, अरबों रुपया वे कमा चुके हैं और अमीर होते जा रहे हैं । मिल मालिक को जो शूगर केन से फायदा होता है, जो लाभ मिल मालिक शुगर कैन पर लेता है, उस में किसान का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिये और यह हिस्सा उसको मिलना चाहिये ।

•

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ८० फीसदी किसान हैं और बीस फीसदी मिल मालिक और उसके रिश्तेदार । इस लिये प्राफिट का जो रुपया है उसका ८० परसेंट किसान को मिलना चाहिये और बीस परसेंट मिल मालिक के घर में जाना चाहिये । लेकिन यहां उल्टा हिसाब होता है । मैं भी गन्ने की काश्त करने वाला एक छोटा सा काश्त कार हूं । न मुझे सरकार की तरफ से बीज मिलता है, न खाद मिलती है, न पानी का इंतजाम किया जाता है । गन्ने को ढोने में मुझे रात रात भर बर्फ में चलना पड़ता है, अपने बैलों की गाड़ी को जिस पर गन्ना लाद कर मैं ले जाता हूं, वहां पहुंच कर ४८–४८ घंटे तक खड़े रखना पड़ता है, तब जा कर कहीं नम्बर आता है । मेरे बैल, मेरे मवेशी, मे

नौकर तबाह होते हैं, कुछ बर्फ पर होते हैं और कुछ तब जब उनको ४८–४८ घंट खड़े रहना पड़ता है। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसा किसी देश में नहीं होता है। जिनको गन्ना देना होता है वे बर्फ पर ठिठुरते रहते हैं और बहुत देर तक उनको इंतजार करना पड़ता है। ऐसा न हो इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर खाद्य मंत्री चाहें तो एकदम इस सब का इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमारी तरफ उनकी हमदर्दी कम है और मिल मालिकों की तरफ ज्यादा है, ऐसा मालूम होता है। हम गरीब हैं, मिल मालिक करोड़पति हैं। हमारी हालत यह है कि हमारे पास पैसा नहीं होता है कि हम अपने बैलों को दाना दे सकें, हमारे पास पैसा नहीं होता है कि अपने लड़कों की फीस अदा कर सकें, उनकी किताबों का खर्चा जुटा सकें और उनको हमें वापिस बुलाना पड़ता है, लेकिन मिल मालिकों का यह हाल है कि एक मिल के मुनाफे से वे चार चार मिलें खड़ी करते जा रहे हैं लेकिन सरकार का उधर कोई ध्यान नहीं जाता है। मेरा निवेदन है कि अगर बाकई में आप मजदूरों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, किसानों के प्रति हमदर्दी रखते हैं तो किसानों की इमदाद बढ़नी चाहिये, किसानों की हालत बेहतर करने की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिये। जो मिल मालिक हैं, वे इतना रुपया इन मिलों से कमा चुके हैं कि उनको और ज्यादा मुनाफे की इस वक्त जरूरत ही नहीं है। जो मुनाफा है वह किसानों को जाना चाहिये और अगर किसानों को नहीं दिया जाता है तो हिन्दुस्तान के फायदे के लिये उसका इस्तेमाल होना चाहिये, हिन्दुस्तान की रक्षा के लिये उसका उपयोग किया जाना चाहिये। अकेले मिल मालिकों को इस रुपये का हिस्सेदार नहीं बने रहने दिया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम मिल मालिकों को गन्ना देते हैं लेकिन उन मिलों में हम किसानों का एक लड़का भी नौकर नहीं रखा जाता है। मैं इकबालपुर में लक्सर में गन्ना देता हूं, और वहां की हालत यह है कि कोई किसान का बेटा न तो वहां क्लर्क लगा हुआ है और न ही इंजीनियर लगा हुआ है और न ही ओवरसीयर लगा हुआ है और न ही एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रखा गया है। जमीन हमारी इस्तेमाल होती है, गन्ना हम देते हैं लेकिन इसका मुनाफा हमको न मिल कर दूसरे ही उठा ले जाते हैं इसलिये यह जरूरी है कि गन्ने की कीमत आज बढ़ाई जाय और कम से कम उसकी कीमत दो रुपये मन कर दी जाय। रफी अहमद किदवई जी के समय में जब २८ रुपये मन चीनी बिकती थी तब लोगों को दो रुपये मन का भाव दिया जाता था लेकिन आज जब ३८ और ४० रुपये मन चीनी बिकती है तो कोई वजह नजर नहीं आती है कि क्यों हम को दो रुपये का भाव न दिया जाय। जहां तक गन्ने की सप्लाई का संबंध है, मैं चाहता हूं कि कानून बनाया जाय कि खेत से गन्ना लिया जाय, वहां से इसकी सप्लाई ली जाय, जहां मेरा गन्ना खड़ा है, वहां से मिल मालिक या सरकार उठाने का इंतजाम करें, वहां से गन्ना लावे। बैलों की आज हालत यह है कि वे मिल नहीं रहे हैं, न परबतसर मंडी में मिल रहे हैं और न पुष्कर मंडी में मिल रहे हैं। ट्रैक्टरों की हालत यह है कि जिन्होंने ट्रैक्टर लिये थे वे उनको बेच कर दिवाला निकाल कर चले गए हैं।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां तक गन्ने की सप्लाई का संबंध है, हमारे खेतों में से गन्ना मिल मालिकों को दिया जाये और हम को कम से कम दो रुपये मन का भाव दिया जाये।

Shri D. D. Puri (Kaithal): Mr. Deputy-Speaker, Sir, in the very short time at my disposal I shall not attempt to address myself as to what the level of cane prices should be, whether it should be Rs. 1.5 or Rs. 1.10 or it should be Rs. 2. All that we are concerned with, so far

[Shri D. D. Puri]

as this discussion is concerned, is whether that price of cane should be irrespective of the quantity of sugar that the cane yields, that there should be a link between the price of cane and sugar content.

Now, the first criticism of the new scheme that has been made is that with the application of the new scheme of things the price of cane in nearby factories, factories five or six miles from each other, is likely to vary. I would respectfully submit that practically in every agricultural commodity that position is exactly the same. Take wheat or cotton. If the quality of wheat varies from one field to the other, they fetch different prices. Take any agricultural commodity or non-agricultural commodity. There is no question of the entire produce of an area within 10 or 15 miles fetching the same price. It will have to depend upon the quality of the stuff. And, better qualities of sugarcane, like better quality of wheat, better quality of cotton and other things, should fetch a better price.

My hon. friend from Maharashtra took very serious objection to cane yielding 15 per cent being paid for at only Rs. 2. That is exactly the basis of the scheme, that cane yielding 8 per cent sugar and cane yielding 10 per cent sugar shall attract different prices. That is exactly what the scheme seeks to rectify. It seeks to rectify the existing state of affairs.

The second criticism that has been levelled against this scheme is that the incentive given to growers is collective and that an individual grower does not get enough encouragement as compared to another grower. The criticism is that if one grower is progressive his individual incentive should be recognised. I would respectfully submit that this scheme is a first step, a long step and a step in the right direction.

15.30 hrs.

[Shri Mulchand Dube *in the Chair.*]

I do not say that the scheme is the last word on the subject. We have moved forward. The state of affairs hitherto was, whether the recovery was 8 per cent, as in the case of Punjab, or it was 10 per cent, 10.5 per cent or 11 per cent, all that cane was sold at the same price. The first step that has been taken is, we shall work out recovery factory by factory and then reward the grower in an area attached to a factory where the sugarcane content is higher.

They have not gone to the full extent in this direction. They have still fixed a minimum price of cane; i.e. Rs. 1.50 nP. no matter how low the recovery may be. That minimum price has to be paid in any case. I will not go into that question of the minimum price. But to say that either we should introduce a scheme only after the scheme for individual growers is recognised or we should do nothing at all is, I think, a counsel of perfection leading to a counsel of despair. All that I am saying is, this is a first step taken in the right direction.

My hon. friend Shri Bibhuti Mishra quoted the saying: *"andher nagari chaupat raja"*. He said that is the state of affairs today where cane prices are concerned, that the best cane and the worst cane in this *andher nagari* fetch the same price. That is exactly what the scheme seeks to rectify. That is exactly the intention of this scheme.

Shri Bishwanath Roy (Deoria): What about the best managed factory and the worst managed factory?

Shri D. D. Puri: The difference in factory efficiency is not a great deal. If you take the case of a best managed factory and a worst managed factory, the difference will be very very

small because of the retention of the price. The worst managed factory makes lower profits. Even the Tariff Commission does ont guarantee every factory a minimum profit. If a factory is badly managed it will make a lesser profit.

Then, we were told that recovery only for the best part of the season should be taken into account. This argument is not correct. The boot is on the other leg. The Government is already leaving out some unremunerative parts of the season in so far as calculation of cane price is concerned. It is known all over that earlier in the season, in the months of November, and late in the season, in the month of April, the recovery goes down. Government proposes to leave that part of the season out. That is the complaint of the industry, because in November, April and May when the factory is run only with a view to benefit the growers, that part of the season is left out. It is clear that the recovery is low and it is unremunerative. The industry runs into loss. But this the factory recognises, that good must be taken with the bad, and therefore to benefit the grower they do not want to leave the cane standing. So the factory runs during the unremunerative part of the season also. That also should be taken into account when you fix the prices.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: All that I said was, where the yield is 15 per cent, nearly double, the increase crease is only eight annas.

Shri D. D. Puri: I do not want to go into those calculations. If I am given the time I can go into that. We are concerned only with acceptance of the principle whether cane price should be flat or linked with recovery. This is exactly what the scheme seeks to do. Hitherto, in Northern India, leave alone Maharashtra, even if there was a factory which was to get 15 per cent recovery, it will still be, under the old system, asked to pay at the rate of Rs. 1·62 nP., the same price which a factory getting 8 per cent would pay. That is exactly what the proposal seeks to rectify.

I would respectfully state, very briefly, that the basic fact of life as far as sugar industry is concerned is this. When cane is sold, it is the sugar in the cane that is paid for; the rest is completely trash, literally and metaphorically. Therefore, any price of cane which ignores the sugar content thereof is wholly unscientific and arbitrary.

Then I would like to refer to another aspect. Shri Prakash Vir Shastri has, in his admirable speech, mentioned Indonesia, Mexico and other parts of the world and made out a case that the percentage of sugar price that the grower gets there is higher than in India. Let me correct that impression. No. 1, the sugar industry in India bears the highest tax that any sugar industry bears in any part of the world outside the Communist block. If you leave the taxes out of account, both the cess and the excise duty—leave it out of account there and leave it out of account here—I dare say that the percentage of price that is paid to the cane grower in India is higher than in Indonesia, Mexico or any other country in the world. I make bold to say that taking into account the recovery of sugar, taking into account the sugar-content of the cane, the price of cane paid in India is one of the highest in the world, rather it is the highest in the world, leaving out Pakistan perhaps. If we take the taxes into account, the position continues to be the same.

I will brieffy refer to another point. Shri Prakash Vir Shastri stated that short-weighment of cane might create difficulties so far as the determination of the recovery etc. are concerned. Arithmetically, if a factory short-weighs the cane, then the recovery of the factory will go up to a certain extent. Then, sugar is much under the closer scrutiny of the excise staff than cane can be. For 24 hours of the day

[Shri D. D. Puri]

the staff is there. It is under much closer scrutiny than the weighment of the cane. Therefore, to a certain extent, the linking of the recovery to the cane price acts as a corrective to a temptation that the factory might have to wrongly weigh cane.

I will briefly state that over the years, over the last thirty years, cane price has been moved up and pushed up on an entirely unscientific *ad hoc* basis. Sometimes, the Government of India made an assessment and thought Rs. 1.5 was a fair price for cane. Then they moved it to Rs. 2. Then they brought it down to Rs. 1|10|-, Rs. 1|7|- etc. There was no scientific basis for it at all. It always moved in isolation. I respectfully submit that this is the first time that a scientific outlook is being brought to bear on the problem and the grower is being made quality-conscious. This is the first attempt. I would congratulate the Government of India and the Food Minister for introducing it, for bringing a more scientific outlook to the problem. While I say so, I am not addressing myself as to what the price of cane should be, whether it should be Rs. 2 a maund or Rs. 1|10|- a maund. That is a separate subject. All that I am saying is that the only scientific and correct way of determining the price of cane is to link it up with recovery.

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज): सभापति महोदय, १ नवम्बर के गजट को देख कर मुझे दो प्रकार के आश्चर्य हुए । पहले तो यह कि जहां से हमारे खाद्य और कृषि मंत्री आते हैं वहां गन्ने का दाम १ रु० ८६ न० पै० से लेकर २ रु० १३ न० पै० तक है और जहां से हमारे कृषि मंत्री आते हैं, अर्थात् बिहार, वहां १ रु० ५० न० पै० से लेकर १ रु० ६६ न० पै० तक है । इसी तरह से गुजरात में १ रु० ७८ न०पै० से १ रु० ६२ न० पै० तक, आंध्र में १ रु० ५७ न० पै० से १ रु० ६२ न० पै० तक, मद्रास में १ रु० ५० न० पै० से १ रु० ८१ न० पै० तक, यू० पी० में १ रु० ५० न० पै० से १ रु० ७५ न० पै० तक और पंजाब में १ रु० ५० न० पै० तक है । मेरी समझ में नहीं आता कि बिहार के किसान ने और यू० पी० के किसान ने क्या गलती की है कि उसको पैसे कम मिलते हैं और महाराष्ट्र के किसान को पैसे ज्यादा मिलते हैं ।

इसके साथ जो दूसरा आश्चर्य होता है वह यह कि एक मिल से दूसरी मिल की दूरी सिर्फ तीन मिल की है । मैं बस्ती जिले में डिस्ट्रिक्ट ऐग्रिक्चलर आफिसर रह चुका हूं । वाल्टरगंज और बस्ती में सिर्फ तीन मील का अन्तर है । वहां पर दो मिलों में गन्ने का भाव १ रु० ६३ न० पै० वाल्टरगंज में और बस्ती में १ रु० ७५ न० पै० है । बाल्टरगंज और बस्ती में १२ न० पै० का फर्क है । आप इस चीज को सोचें कि बाल्टरगंज और बस्ती में ऐसे किसान भी होंगे जो कि एक एरिया से दूसरी एरिया में इधर उधर गन्ना ले जाते होंगे । इसके माने यह होते हैं कि चीनी बनाने में, मिल के एक्स्ट्रैक्शन में कोई फर्क है, इसमें किसान का कोई दोष नहीं हो सकता । एक जमीन पर गन्ना बोने का एक किसान को १ रु० ६३ न० पै० मिले और दूसरे किसान को १ रु० ७५ न० पै० मिले तो मिल की मशीनरी में कोई फर्क है । ऐसा करने के लिये यह मंत्रालय मजबूर कर रहा है । इसी तरह से अगर आप देखें तो जितनी भी फैक्ट्रीज शुगर की हिन्दुस्तान में हैं उनकी रिकवरी की परसेंटेज में भी फर्क है । आंध्र प्रदेश में ९.८५ परसेंट शुगर निकलती है, बिहार में ९.४३ परसेंट निकलती है, महाराष्ट्र में ११.७५ परसेंट शुगर निकलती है। मद्रास में ९.२० परसेंट, पंजाब में १.१४ परसेंट और यू० पी० में ९.६८ परसेंट निकलती है ।

इसके साथ साथ मैं आप को दूसरे देशों की मिलों के बारे में बतलाता हूं । साउथ अफ्रीका में सुगर का एक्स्ट्रक्शन ११.३३

परसेन्ट होता है, क्वीन्सलैंड में १३.८१ परसेन्ट, पोर्ट्रिको में १०.७१ परसेन्ट होता है और फिलिपीन में ११.९५ परसेन्ट होता है ।

अगर मिलों की खराबी की वजह से किसान मारा जाय तो यह अनुचित होगा कि इस तरह की चीज एक्स्ट्रैक्शन के ऊपर लागू की जाय । अगर आप इस को एक्स्ट्रक्शन पर ही लागू कर देते हैं तो आप यह बतला दीजिये कि वह कहां तक न्यायसंगत है । अगर मैं अच्छी तरह खेती करता हूं और अच्छे किस्म के गन्ने की खेती करता हूं और अच्छी वेराइटी पैदा करता हूं तो मैं भी १ रु० ६२ न० प० पाऊं और मेरे ही क्षेत्र में एक किसान जो है वह देसी गन्ना बोता है और पुराने ढंग से बोता है तो वह भी उतना ही पाये तो इस देश में इम्प्रूव्ड एग्रीकलचर कैसे हो सकता है, कहां तक मैं अपनी खेती को बढ़ा सकता हूं ? सरकार के पास या मिल के पास कौन सी ऐसी मशीनरी है जो कि हर लाट और हर बैलगाड़ी की टैस्टिंग कर सके कि इस में इतना सक्रोज का परसेन्टेज है और इस में इतना परसेन्टज है ? सीजन से बाहर जब गन्ना पेरा जायगा, जिस में कि सक्रोज परसेन्टज कम होता है तो उस नुक्सान को कौन सहेगा ? सरकार या मिल वाले ? फिर वराइटी के ऊपर भी गन्ने के सक्रोज के परसेन्टज में कमी या ज्यादती होती रहती है । दो वैराइटी होती हैं : सी० ओ० ४१९ की जो वैराइटी है उस में बिहार में ९.१२ परसेंट शुगर निकलती है, आंध्र प्रदेश में १०.१९ परसेन्ट, महाराष्ट्र में १२.४२ परसेन्ट, मैसूर में १२.१४ परसेन्ट, मद्रास में ८.२५ परसेन्ट शुगर निकलती है । इसी तरह से दूसरी वैराइटी सी० ओ० ४४९ में आंध्र में ९.५७ परसेन्ट, मैसूर में ८.९७ परसेन्ट और मद्रास में ९.२ परसेन्ट निकलती है । इसी तरह से प्रदेश प्रदेश में गन्ने की बराइटी में भी फर्क है । जैसा हमारे मंत्रालय ने दिया है कि जिस की ९.८ परसेन्ट रिकवरी होगी उस को १ रु० ६२ न० पैं० मिलेगा । जब रिकवरी १ परसेन्ट बढ़ेगी या घटेगी तो उस के हिसाब से १।। न० पैं० बढ़ेगा या घटेगा । लेकिन जहां पर गन्ना दूर के सेन्टर को सप्लाई होगा वहां पर १ रु० ३८ न० पैं० दाम होगा । इस में कौन सी मशीनरी हर किसान के हर लाट की टेस्टिंग करेगी कि किस के शुगरकेन से कितना परसेंट शुगर निकलती है ।

मेरे पास "इंडियन शुगर इंडस्ट्री" की अनालिसिस है । उसमें लिखा हुआ है कि एक मन चीनी बनाने में १ रु० ६२ न० पैं० के हिसाब से किसान को गन्ने का दाम १६.२० रु० मिलता है । कोआपरेटिव्स उस में से ४६ न० पैं० ले लेती हैं, सरकार का टैक्स १०.६९ रु० है, गन्ने का सेस १.९४ रु० होता है, मैनुफैक्चरिंग चार्जेज ५.६३ रु० और प्राफिट ४ परसेन्ट, उस तरह से कुल मिला कर ३७ रु० ८५ न० पैं० प्रति मन गन्ने का दाम फिक्स किया गया है । अगर इस तरह से हिसाब लगाया जाय तो किसान को सिर्फ ४३ परसेन्ट मिलता है बाकी ५७ परसेन्ट मिल मालिक और सरकार ले लेते हैं । जब कि इंडोनेशिया में ५५ परसेन्ट, क्यूबा में ५५ से ६० परसेन्ट, मैक्सिको में ५० परसेन्ट और बाई प्रोडक्टस का दाम, फिलिपाइन्स में ५५ से ६० परसेन्ट और मारीशस में ६६ परसेन्ट किसानों को दिया जाता है ।

अगर एक किसान ने एक एकड़ गन्ना बोया और उसमें ४०० मन गन्ना पैदा हुआ, तो इस प्रकार किसान को ६४८ मिलेगा, कोआपरेटिव १८–४० ले लेगी, गवर्नमेंट ५०५ ले लेगी और मिल ३४६ रुपये ले लेगी । तो इस प्रकार एक एकड़ के गन्ने पर सरकार ५०० रुपये से ऊपर ले रही है । यह करीब ३३ परसेन्ट के होता है । मैं नहीं समझता कि किसी और इंडस्ट्री के कच्चे

[श्री विश्राम प्रसाद]

माल पर सरकार इतना टैक्स लेती हो । अगर किसान की मेहनत, उसकी जुताई गुड़ाई आदि का खर्चा निकाल दिया जाए तो मेरी समझ में नहीं आता कि किसान के पास क्या बचेगा ।

कहा जाता है कि मिल वाले ४ परसेन्ट मुनाफा लेते हैं । कहने को तो यह मुनाफा ४ परसेन्ट है लेकिन वास्तव में मिल वालों को १८-८ परसेन्ट का मुनाफा पड़ जाता है । इसके अलावा भी मुनाफा होता है । दस परसेन्ट चीनी के अलावा चार पांच परसेंट मोलासेज निकलता है जिससे पावर एलकोहल, एलकोहल, रेक्टीफाइड स्पिरिट, कंट्री स्पिरिट और दूसरे पदार्थ बनते ह जो दवाओं में काम म आते ह । तो इससे उनको फायदा होता है । इसके अलावा जो खोई होती है उसको पेपर बनाने के काम में लिया जाता है और उसका पैसा भी मिल मालिक को बच जाता है । अगर इस सब को जोड़ा जाय तो आप देखेंगे कि मिल वालों को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है ।

मेरा सुझाव है कि या तो सरकार अपने ३३-३ परसेन्ट के टैक्स को कम करे या मिल वालों के मुनाफे को कम करे लेकिन किसानों को गन्ने का दाम दो रुपये मन दिया जाय जैसा कि अन्य जगह दिया जाता है । महाराष्ट्र में किसान को दो रुपये १३ नये पैसे मन मिल रहा है ।

अगर मिल की खराबी की वजह से गन्ने में से कम रस निकलता है और चीनी कम बैठती है तो उसके लिय किसान को न मारा जाय यह मेरी प्रार्थना है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस रिजोल्यूशन का समर्थन करता हूं ।

Shri Surendra Pal Singh (Bulandshahr): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Government's new policy to link the price of sugarcane with sugar recovery may be a very sound proposition on scientific grounds. But we feel that in actual practice it will harm the interests of the farmers of the North and I very strongly object to its application to those States which lie in the Northern sugarcane belt where the average recovery of sugar is never more than 9.5 or 9.6 per cent at the most.

In my opinion there are two main reasons why the scheme is likely to affect the farmers of the North adversely. Firstly, there are certain handicaps in our way, some man-made and some natural, which will always hamper our efforts to increase our per acre yield of sugarcane and to increase the sugar recovery.

These handicaps are: first of all, our climate. Our climate is not at all suitable for the successful growth of the sugarcane. We all know that sugarcane requires a hot and humid climate whereas our climate is dry and of the extreme type which is not at all congenial for the healthy growth of the sugarcane plant. This fact is conclusively proved by the fact that all the high-yielding hybrid varieties of sugarcane that are grown in the north of India come mostly from Coimbatore in South India, and they do not thrive here so well as they do in the southern climate and their yield in the north is very much poor when compared to what they are capable of giving in the South.

The second handicap is the inadequacy of water for irrigation. Despite the fact that the Government has made enormous efforts to increase the irrigation potential in the country, there is still a great shortage of water. I can say from personal knowledge that practically 80 per cent of the farmers in the western districts of UP are not able to give even two waterings to their sugarcane crop during the period March to June when actually at least four to six waterings are required for the successful growth of sugarcane.

The third handicap is our State Governments' apathy and reluctance to spend any substantial amount of money on the development of sugarcane. The State Governments collect enormous sums of money, lakhs and lakhs of rupees, as cane cess each year which is supposed to be spent entirely on the development of sugarcane, but we all know that hardly 4 or 5 per cent of that amount is spent on that particular item and the rest of the money is spent elsewhere.

The second reason as to why we feel that we will not get anything more than the bare minimum—it may be called a hypothetical reason by some—is that rightly or wrongly we feel that the real recovery of sugar will never be revealed to the farmers and tampering will take place. Of course, the Government has assured us that they will appoint inspectors and other officials at factory sites to keep a check on this, but we know fully well how these Government functionaries perform their duties. We fear that they will soon be purchased by the mill-owners and all they will do will be just to ditto the pronouncements of the mill-owners in this respect. The mill-owners are a very well organised and financially powerful fraternity and our farmers have begun to feel that these people have got such a strong hold on our Government that they can get practically anything they want at the expense of the farmer. This feeling has been gaining ground for various reasons which I have not the time to enumerate here, but I will mention one or two important reasons. The first reason is our Government's failure upto date to force the mill-owners to pay the deferred price to the farmers. Some efforts are now being made in this connection but we feel that these efforts are rather feeble and half-hearted and I do not think, anything tangible will be achieved in the near future.

The second reason is our Government's indifference towards the farmer's constant and legitimate complaint of not getting the price of the sugarcane paid to them by the sugar factories in time. Because the money is not paid to them in time the farmers have to suffer a great deal.

The third reason is this very policy of the Government which we are discussing on the floor of the House now. This scheme has been introduced in a very hurried and arbitrary manner, and naturally, the farmers are rather suspicious of the whole thing. They feel that this measure has been brought merely for the benefit of the mill-owners because they argue, that the consumer will not benefit from it; the Government is not getting anything out of it; so, naturally, the question arises as to into whose pocket these extra two annas, the difference between Rs. 1|8|- and Rs. 1|10|- are going? We all know where they will go. We know, they will go into the pockets of the mill-owners.

Our suspicion is further strengthened by the fact that the Ministry of Food and Agriculture had convened a conference of sugarcane experts, which was to take place in Poona on the 6th and 7th July last to decide this very question but before this conference could take place, I think, a day or two before that, that is, on or about the 4th or 5th July, the Government came out with the declaration of this policy. Naturally, we want to know as to what was the hurry for the Government to declare this policy before actually having had this matter thoroughly discussed by the Expert Committee, which would have given them their proper opinion on the matter. Such a hasty action, naturally, creates a suspicion in the minds of the people.

Sir, we understand that this measure has been brought into operation, firstly, for putting our sugar industry on a sound and scientific basis and, secondly, to reduce the cost of production of sugar so that we are able to sell our sugar in the international market with ease. The ideas at the

[Shri Surendra Pal Singh]

back of the scheme are laudable and I support them. But we feel that in this respect we must emulate the example of other foreign countries who could achieve these ends by much better and more rational methods, for instance, by not levying too high a tax on sugar, by selling their sugar in the international market at below cost price with the help of Government subsidy, by encouraging the formation of large mechanised farms, run on commercial lines, which can increase sugarcane production; by their hundred per cent efficiency in the production of sugar; and, lastly, by their having by-product industries to utilise every bit of waste material for some useful purpose.

These facts clearly indicate that in my opinion, the onus of reducing the cost of production of sugar in this country lies wholly and squarely on either the Government or on the mill-owners who take off enormous amounts of profits every year in one form or the other, and certainly not on the farmer who, in my opinion, is the weakest member of this combine.

Sir, In the end, I will say just this that, in view of the special difficulties prevailing in the Northern States, and particularly in view of the present national emergency when we are calling upon our farmers to make all sorts of sacrifices for the sake of the country's defence, it will be in the fitness of things for the Government to come forward and revise this policy and at least the minimum price of sugarcane from 1 Rupee 50 naya paise to 1 Rupee 62 naya paise; at least this must be done so that the farmers do not feel so utterly disappointed as they are now. On the other hand, I feel sure, that if the Government insists on enforcing the present policy, the farmers will be greatly disappointed and they will feel badly let down by Shri S. K. Patil who has, on more occasions than one declared himself to be the champion of the poor peasantry of India. With these words I support the motion.

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में विशेष रूप से तुंगभद्रा प्रोजेक्ट ऐरिया का यहां प्रतिनिधित्व कर रहा हूं । मैं वहां के हालात थोड़े शब्दों में आप के सामने रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बतलाया कि ३, ३ मील और ४, ४ मील के अन्तर पर गन्ने के मूल्य बदल जाते हैं लेकिन मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि मेरे वहां तुंगभद्रा नदी के इस पार और उस पार जो दो चीनी मिलें हैं उनमें गन्ने की प्राइस में अन्तर हो जाता है । तुंगभद्रा नदी के इस पार सालारजंग शुगर मिल्स लिमिटेड, मुनीराबाद, डिस्ट्रिक्ट रायचूर है और नदी के उस पार दी इंडिया शुगर एंड रिफाइनरीज लिमिटेड, होस्पेट, डिस्ट्रिक्ट बिलारी है । अब रायचूर वाल मिल में गन्ने का भाव जहां १.६३५ रुपये प्रति मन है वहां होस्पेट वाली मिल में भाव १.८१५ रुपये प्रति मन है अर्थात् करीब २० या २२ नये पैसे का फर्क है । अब दोनों मिलों में कोई फर्क नहीं है । एक ही भूमि है एक ही किस्म का गन्ना बोया जाता है और एक ही तरह की ईल्ड होती है और पहले भी यहां का गन्ना उस मिल में और उधर का गन्ना इधर की मिल में आया करता था । दोनों मिलें बाजू बाजू हैं । दोनों मिल के मालिक और एजेंसी भी एक ही है और कोई वजह नहीं मालूम होती है कि यह २० या २५ नये पेसे का फर्क क्यों किया जाये और इस तरह का फर्क करना बिलकुल नाइंसाफ़ी है ।

तुंगभद्रा ऐरिया में १०–१२ चीनी मिलें हैं लेकिन कोआपरेटिव में सिर्फ एक ही मिल है । यह दोनों मिलें जिनका कि मैंने

अभी जिक्र किया यह दोनों पूंजीपतियों के हाथ में हैं अर्थात् प्राइवेट सैक्टर में हैं । यहां की एक ही कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी कम्पनी है जहां कि किसानों से १७७० रुपये प्रतिमन के भाव से गन्ना लिया जाता है । किसानों ने इस क्षेत्र में और कोआपरेटिव्स की मांग आप के सामने रक्खी है । यह शायद मौका नहीं है कि मैं उस की बाबत यहां पर कहूं लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर लोकलाइजेशन स्कीम के तहत किसानों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है कि उन्हें वहां पर गन्ना बोना ज़रूरी है । इस लोकलाइजेशन स्कीम के मातहत चंद ज़मीनों को रिज़र्व कर दिया गया है कि यह केन ग्रोइंग ऐरिया है और बाक़ी दूसरे हिस्से हैं । मेरा कहना है कि आज के इमारजेंसी के हालात में किसानों को गन्ना बोने के लिये जो मजबूर किया जाता है और जो गन्ना नहीं बोते हैं उनको जुर्माना किया जाता है, यह चीज़ फिलहाल बंद कर दी जाये । लोकलाइजेशन स्कीम को इमरजेंसी के हालात में सस्पेंड किया जाये । जो किसान गन्ना नहीं बोते हैं और पैडी वगैरह उगाते हैं उनको जुर्माना किया जाता है और बहुत परेशान किया जाता है, यह चीज़ बंद होनी चाहिये । या तो आप इस लोकलाइजेशन स्कीम को सस्पेंड कीजिये वरना उस ऐरिया में ज्यादा से ज्यादा मिलों के लगाने के लिये लाइसेंस दीजिये । इस के अलावा मेरा यह भी कहना है कि पैडी ग्रोइंग भी तो ग्रो मोर फूड का एक कैम्पेन है और उसको प्रोत्साहन किया जाये ताकि देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सके ।

मैं मंत्री महोदय से अन्त में निवेदन करूंगा कि इतने नज़दीक दो, दो और चार, चार फर्लांग के फासले पर लगी मिलों में गन्ने की प्राइस में फर्क नहीं होना चाहिये और नदी के इस किनारे और दूसरे किनारे पर लगी मिलों में जो २० या २५ नये पैसे का फर्क है वह जरूर प्राइस पालिसी में कुछ नुक्स होने के कारण है । अब प्राइस की कोआपरेटिव मिल वालों से भी शिकायत आती है । परसों मैंने एक खत मंत्री महोदय की सेवा में भेजा कि उनको यहां तक मालूम नहीं है कि प्राइसेज़ कितनी फ़िक्स हो गयीं । वहां के कोआपरेटिव के प्रसीडेंट ने खत लिखा है कि उनको प्राइसेज़ का कोई इल्म नहीं हालांकि एक महीना प्राइसेज़ फिक्स किये हो गया है । अब इस की जानकारी कराने में इतनी देर नहीं होनी चाहिये और हर एक किसान को समझना चाहिये कि उसके गन्ने की क्या कीमत तय की गई है और अधिकारी उसे दाम देगा और कितनी उन की ईल्ड है ताकि दूसरे साल वे अपनी पैदावार बढ़ा सकें । क़ीमत कितनी मिलती है यह भी उनको बता देना चाहिये और ऐसा होने से वह ज्यादा उत्साह से गन्ना पैदा करेंगे । बस चूंकि मेरा समय खत्म हो गया है इसलिये और अधिक न कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

16 hrs.

श्री दा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ वर्ष पहले जब श्री जैन मंत्री थे हाउस में एक प्रस्ताव आया था कि गन्ने का दाम २ रुपये प्रति मन कर दिया जाये । मैं उन लोगों में से एक था जिन्होंने कि इस बढ़ोतरी की मांग का विरोध किया था । मैं चाहता था कि गन्ने के दाम न बढ़ाये जायें । लेकिन आज जब किसी भी तरीके से किसानों के पास गन्ने के दाम के रूप में कम पैसा मिलता है तो मुझे अफसोस होता है और मैं चाहता हूं कि किसी भी हालत में किसानों को गन्ने के बदले जितना पैसा पहले मिलता था उस से कम नहीं मिलना चाहिये । कारण यह है कि हर एक चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं । किसानों की जीवनोपयोगी चीजों के दाम बढ़ गये हैं और ऐसी हालत में यदि आज किसानों के गन्ने के दाम घटाये जायें तो उनको कितनी

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

दिक्कत उठानी पड़गी, इसको शायद पाटिल साहब महसूस नहीं कर रहे हैं ।

मैं इस सिद्धान्त का विरोध नहीं करता और जैसा कि पुरी महाशय ने कहा है यह बहुत उम्दा सिद्धान्त है कि गन्ने का दाम रिकवरी के साथ लिक हो । अब जहां तक सिद्धान्त का सवाल है सिद्धान्त तो अच्छे हुआ करते हैं जैसे कि यह सिद्धान्त अच्छा है कि हर एक मनुष्य को काफ़ी कपड़ा, खाना और दवादारू की व्यवस्था मिले लेकिन अमली रूप में हम देखते हैं कि वह सिद्धान्त चलता नहीं है । एक आदमी अपनी बीमारी में लाखों रुपय खर्च करता है जब कि एक ग़रीब आदमी अपनी बीमारी में दो पैसे भी नहीं खर्च कर सकता है । सब को ठीक से खाना, कपड़ा और दवादारू मिलनी चाहिये सिद्धान्त रूप में यह बहुत अच्छी बात है लेकिन यह सिद्धान्त चलता कहां है ? एक ज़बर्दस्त आदमी और एक ग़रीब आदमी दोनों के सामने सिद्धान्त रख दीजिये तो वह चलता नहीं है । इसलिये आपको यह अनुभव करना होगा कि जो हम कायदे कानून बनाने जा रहे हैं वे भले ही कितने अच्छे हों लेकिन उन का दरअसल असर क्या लोगों पर पड़ता है । यह ठीक है कि आज हमारे गरीब किसान सरमायदारों ने न तो बुद्धि में न छल में और न प्रपंच में पार पा सकते हैं । उन के यहां इन गरीब लोगों को हुडविक करने के बहुत तरीक़े हैं । मैं यह भी मानता हूं जैसा कि श्री पुरी ने कहा कि सिद्धान्त रूप में एक एरिया की रिकवरी के ऊपर दाव लगाय जाते हैं अब यदि तीन, चार या पांच मील की रिकवरी के ऊपर दाम लगते हैं तो वह किसान जो अपने खेत में खाद डाल कर ज्यादा अच्छा गन्ना पैदा करता है और उसका परसेंटेज ज्यादा होता है और वह किसान जो कि नेगलेक्ट करता है और फलस्वरूप कम परसेंटेज की रिकवरी करता है, दोनों को बराबर गन्ने के दाम मिलेंगे तो यह उस ऐरिया में इंसेंटिव होगा खराब गन्ने को उपजाने के लिये और यह अच्छा गन्ना उपजाने के लिये इंसेंटिव नहीं होगा । इस प्रकार जब यह बात सिद्धान्त रूप में आती है तो इस को पूर्ण रूप से करना चाहिये । आप ऐरिया को लेते हैं यह उचित नहीं होगा । हर किसान को लेते तो मैं समझता हूं कि यह आप न्याय करने जा रहे हैं । आप से न्याय नहीं हो रहा है बल्कि उन किसानों के प्रति जो कि अच्छी रिकवरी दे सकते हैं उन के हो रहा है । कोई भी नया फार्मूला बने, तो उसके लिये कोई टाइम निर्धारित किया जाना चाहिये कि इतने टाइम के बाद उस फार्मूले पर आधारित कानून लागू होगा । इस साल जिस वक्त सरकार की ओर से प्राइस को रीकवरी के साथ लिक करने की घोषणा की गई, उस वक्त किसानों का गन्ना या तो बोया जा चुका था, या बोया जा रहा था । परिणाम यह हुआ कि वे चेत न सके । सरकार को कम से कम दो बरस का टाइम देना चाहिये, ताकि किसान सचेत हो जायें और अच्छे बीज और खाद आदि का उपयोग कर के अच्छी उपज प्राप्त करें, जिससे ज्यादा रीकवरी हो । सरकार ने बीच में ही व्यवस्था को बदल दिया है, जिससे किसान सजग नहीं हो सके और उनका गला कट गया ।

जैसा कि श्री विभूति मिश्र के अमेंडमेंट में कहा गया है, अभी इस व्यवस्था को स्थगित किया जाये । गवर्नमेंट कम से कम दो बरस का नोटिस किसानों को दे, ताकि वे इन बातों को पूरी तरह से समझ सकें । इस समय तो स्थिति यह है कि देहातों में किसान यह समझते नहीं हैं कि रीकवरी क्या होती है और कैसे उसको प्राइस से लिक किया जायेगा । जब किसान अच्छी तरह समझ जायें कि गन्ना बोने से हमको फायदा हो सकता है या नहीं हो

सकता है, तो इस फार्मूले को लागू किया जा सकता है ।

माननीय मंत्री, पाटिल साहब, बड़े मैथाडिकल आदमी हैं और बड़े सिद्धांतवादी हैं, लेकिन केवल गन्ने के किसानों के साथ यह मैथड लागू किया जाये और दूसरे लोगों के साथ नहीं, यह ठीक नहीं है । मैं यह भी मानता हूं कि एक फसल के दाम जगह जगह पर अलग अलग होते हैं । गन्ने का भाव उत्तर प्रदेश में एक है, तो बिहार में दूसरा है । लेकिन एक मिनिमम भाव, एक कम से कम भाव, निश्चित कर दिया जाये कि किसी भी रूप में १ रुपये ६२ नये पैसे से कम किसानों को नहीं मिलेगा । सरकार ने १ रुपया ५० नये पैसे मिनिमम कर दिया, लेकिन उसको यह तय कर देना चाहिये कि १ रुपये ६२ नये पैसे से कम नहीं मिलेगा, उससे ऊपर चाहे मिल जाये । कम से कम इतना तो अवश्य करना चाहिये । ताकि किसान सन्तुष्ट रहें और माननीय मंत्री जी का मैथड भी ठीक तरह से चले ।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Jagdev Siddhanti. He is absent. Shri Kachavaiya. He is also not in the House.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): When the Sugarcane Control (Additional Powers) Bill was being discussed in this House, almost all the Members, with the exception of two or three, one of them being Shri D. D. Puri, opposed this procedure of linking sugarcane price with the quality. Nobody can dispute the need for there being proper quality control. If we have to improve the industry, it is necessary to increase the quantity as well as improve the quality. It will be an incentive to the cane growers. They will know that by producing good quality cane, they will get more money.

But this proposal is coming at a time when there is no machinery to check it. I make this categorical statement because I have served in sugar factories for five years at various places and I know that to check a particular quality of sugarcane, they do not take it separately from each cart or each wagon. What is crushed may be different qualities, 210, 213 and 334. When it goes to the laboratory, the raw juice of all these qualities is combined together. I would like to know from the hon. Minister who knows about this problem much more than I do how he is going to analyse in a particular place a particular quality of cane. In one locality there is a particular quality grower. In the same locality, there is another grower who is growing a different quality. The cart in which the sugarcane comes at the factory gate or the wagon which is loaded consists of cane of so many qualities. Will the quality control be at the field level? Is there any machinery at present in U.P., Andhra, Bihar or any other State to check the quality of the sugarcane at the field level or of the sugarcane in a particular field? So, unless that machinery is there, I am sure that this formula is going to be nothing more a fiasco, it is not going to benefit the sugarcane growers.

At the time when the Sugarcane Control (Additional Powers) Bill was discussed in this House, the hon. Minister assured us in this fashion:

> "Government will apply it mind and will take into consideration all the good and useful suggestions that have been made here."

And what were the useful suggestions? —to see that the deferred payment due to the growers was paid. In U.P. alone, I made a statement in the House, of course subject to correction, that nearly Rs. 4.5 crores were to be paid to the cane-growers, and I am sure in all the other States, equally large amounts must be outstanding. I would like to know from the hon. Minister whether effective steps have been taken to see that the mill-owners have cleared their arrears of this de-

[Shri S. M. Banerjee]

ferred payment, whether they have actually paid. On the top of it, bringing this notification and fixing the sugarcane price, linking it with the sugarcane quality, will be entirely injurious to, and will not be interests of, the growers, whose interests, the hon. Minister has assured us definitely, is very dear to him. He has said:

> "If the formula can be made impregnable and with that the largest amount of money could be given to the growers, Government will be second to none in their anxiety to do so.
>
> Therefore, my appeal to those Members not to press their amendments. Let Government be given this power. It is only power to give retrospective effect to the legislation, to the formula that will be evolved. I think that is where the interest of the growers will be protected."

I welcome this bold statement which is in the interests of the cane-growers that the hon. Minister made in this House. But what has happened? I would like to know whether the various organisations representing the interests of the cane-growers were consulted before this formula was accepted, whether certain Members of this House, Shri Bibhuti Mishra and others who are keenly interested in this problem who come from Bihar, U.P. and Andhra, were consulted, whether this was discussed in the informal consultative committee. I would like to know all this because we are answerable to our people.

I come from a State where the largest number of sugar mills is situated, and naturally at this hour when we want more production, when we are asking everybody to produce more I do not know whether the sugarcane grower is going to be enthused. If he is going to be enthused by a reduction in the sugarcane rate, I do not know whether that is a correct picture.

Then, in the Gazette it is said:

> "If the Central Government is satisfied that during any year a factory has made no profit or has made inadequate profit, then Government may by order in writing exempt either wholly or partially any producer of sugar from payment of the additional price due....with respect to the sugarcane purchased for that factory during that year."

Any magnate can come forward and say that he has not made any profit and is unable to pay the additional sugarcane price.

I fully support the contention of my hon. friend Shri Prakash Vir Shastri and the very valuable amendment moved by Shri Bibhuti Mishra, that this should be at least suspended. The minimum price cannot be less than Rs. 1.62 which is, according to us, less than what it should be. We have demanded in this House Rs. 2 as the minimum price. But it goes further down now, and in many factories it may be only Rs. 1.50. So, it will not be in the interests of the grower. The minimum price of sugar is Rs. 36 but we are not getting it in the market at that price. It is somewhere between Rs. 40 and Rs. 42.

I am yet to know any sugar factory which is producing sugar of bad quality and which has fixed a price of Rs. 34 or Rs. 35. The minimum price has been Rs. 36 always and they are allowed to sell at a higher price in the name of emergency or in the name of any other thing. I fully agree with the hon. Mover of the Resolution. I refute what Shri D. D. Puri has said. He says that the cane price is the most in the country. I say the profit also is the maximum in this country; the profit is not the maximum in Indonesia or anywhere else. I would request the hon. Minister to give effect to our

request. Otherwise it will injure the sentiment of the canegrowers when production is the need of the hour.

श्री ब० प्र० सिंह (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक गन्ने के दाम देने का संबंध है, मैं समझता हूं निकट के एक ही जगह पर दो तरह की दरें ही नहीं हो सकती हैं । रिकवरी पर दाम देने का यदि उद्देश्य है तो जो किसान ज्यादा सिंचाई करता है, ज्यादा काड़नी करता है, उसकी ज्यादा रिकवरी होती है बनिस्बत उसके जो बैल से खेती करता है, उसकी ज्यादा जहां पर पूरी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और जो पूरी बौनी नहीं करता है । साथ ही साथ जहां तक ऊख का संबंध है, उसकी बहुत सी वैराइटीज होती हैं और उसके हिसाब से ही उसकी रिकवरी होती है । कोई ऐसी वैराइटीज होती हैं जिनका वेट तो ज्यादा होता है लेकिन रिकवरी कम होती है और दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि वेट तो कम होता है लेकिन रिकवरी ज्यादा होती है । यह बात समझ में नहीं आती है कि क्या खाद्य मंत्री जी ने पूरी जानकारी प्राप्त करके इस सिद्धांत का निश्चय किया है या यों ही अंधेरे में रह कर इसके बारे में निश्चय कर लिया गया है ।

अभी एक मित्र ने कहा यहां पर "अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा" वाली बात है । एक दूसरे मित्र ने उसको दूसरे तौर पर इंटरप्रेट किया है । इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिये था कि ऊख कई किस्मों की होती है, उसकी अलग अलग किस्में होती हैं और किस्मों के आधार पर रिकवरी भी अलग अलग होती है । किस सिद्धांत पर यह सब कुछ तय कर दिया गया है, समझ में नहीं आता है । मेरा यही ख्याल है कि न्यायपूर्वक किसी सिद्धांत को नहीं बरता जा रहा है ।

ऊख की खेती किसान इसलिये करता है कि यह मनी क्राप है । अगर यह मनी क्राप न होती तो किसान इसकी तरफ मुखातिब न होता । उस हालत में दूसरी फसलों में उसको जितना पैसा मिलता है, उससे अधिक ही पैसा इसमें मिल जाता है । जहां तक रिकवरी के आधार पर गन्ने की कीमत तय करने की बात है, यह सवाल भी पैदा होता है कि कौन से समय को आधार मान कर चला जायेगा । शुरू शुरू में जो गन्ना पेरा जाता है, उसमें से जो रस निलकता है, उसमें से जो रिकवरी होती है वह कम होती है और अन्त में जो पेरा जाता है, उसमें भी रिकवरी कम होती है । बीच में ज्यादा होती है । इस बात का भी निश्चय नहीं किया गया है कि किस समय की रिकवरी को सरकार ध्यान में रखेगी और गन्ने के दाम तय करेगी ।

आज कहा जाता है कि सरकार किसान के लिये सब कुछ कर रही है, उसको सहूलियतें नाना प्रकार की दे रही है । लेकिन मैं समझता हूं कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से आज तक उस के पर-कैपिटा इनकम में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है । जहां किसान को हर तरह की सहूलियतें दी जानी चाहिये वहां उसके रास्ते में तरह तरह की कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश की जाती है । अभी भी ऐसा देखा जाता है कि मिलें किसान को पूरा पूरा चुकता एक साथ नहीं करती हैं और बहुत पीछे का पैसा अपने पास रख लेती हैं । अब जो निश्चय किया गया है कि रिकवरी के आधार पर उसको गन्ने का मूल्य दिया जाये, उसके आधार पर जो इस वक्त रिकवरी होगी, उसमें और भी अंधेरगर्दी की जायेगी । किसान को पैसे की जरूरत होती है । किसान अपनी फसल को तुरन्त बेच कर तुरन्त पैसा चाहता है । यों ही मिल वाले उसको पैसा देने में देरी करते हैं, लेकिन अब तो और भी देरी से पैसा देने की गुंजाइश हो जायेगी, जोकि किसान के हित के प्रतिकूल होगा । समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे कौन सी तथ्य की बात देखी गई है, किसान का कौन सा हित सोचा गया है ।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस सिद्धांत को मान ले कि जितने

[श्री व० प० सिंह]

रुपये मन चीनी होगी उतने आने मन गन्ना ही गन्ने के दाम होंगे । यदि आप वास्तव में किसान का हित चाहते हैं और चाहते हैं कि किसान उत्साह से कार्य करे तो आपको इस सिद्धांत को मान लेना चाहिये ।

हमारे एक मित्र ने अभी बताया है कि नदी के इस पार और नदी के उस पार के गन्ने के दाम में भी फर्क रखा गया है । इसके पीछे कोई सिद्धांत की बात मालूम नहीं पड़ती है । यह भी नहीं है कि जो किसान ज्यादा मेहनत करेगा, बढ़िया तरीके से खेती करेगा, ज्यादा पटावन करेगा, ज्यादा कोरनी करेगा, उसकी रिकवरी भी ज्यादा होगी । अपनी इस सारी मेहनत का भी पैसा उसको नहीं मिल सकेगा । मैं नहीं समझता कि जो फार्मूला तय किया गया है,उसके पीछे कोई सिद्धांत की बात है । मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह निश्चय करें कि चीनी की कीमत के आधार पर ऊख की दर निश्चित करें । ऊख की वैराइटीज पर यह होना चाहिये ।

मिल मालिकों का आप जितना ख्याल रखते हैं उतना ही ख्याल आपको किसानों का भी रखना चाहिये । जब उनको चीनी बिक नहीं सकती है, तब आप जिसमें उनका हित होता है, वैसा ही करते हैं । फोरन कंट्रीज में जो उनका माल जाता है, उस पर गवर्नमेंट उनको वेटेज देती है । अगर उनको घाटा होता है, तो उसकी पूर्ति करती है । हर संभव तरीके से उनको प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जाता है । लेकिन किसानों के लिये कोई प्रोत्साहन की बात नहीं की जाती है । आज चीनी की जो दर है, वह कल अगर बढ़ जाती है तो किसान को जो पैसा पहले मिला करता था, उसी पर उसको सन्तोष मान कर बैठ जाना पड़ता है । उसके सामने इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है । ऐसा नहीं होना चाहिये । उसको भी बढ़े हुये दाम का लाभ मिलना चाहिये ।

हमारे मित्र ने बताया है कि ऊख वाले अधिकतम टैक्स हिन्दुस्तान में देते हैं । वे इतना टैक्स देते हैं, जितना दूसरे नहीं देते हैं, दूसरे मुल्कों वाले नहीं देते हैं । मैं समझता हूं कि किसानों की जो यह एक मुख्य मनी क्राप है, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो मुख्य तौर से ऊख की खेती होती है, इसमें जितनी भी सहूलियतें हो सकें, उनको देने की व्यवस्था की जाये । आप किसानों को कहते हैं "ग्रो मोर" हम कहते हैं कि "ग्रो मोर एंड पे मोर" । आपको चाहिये कि आप उनको अधिक से अधिक दें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का तथा जो संशोधन पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं ।

The Minister of Food and Agriculture (Shri S. K. Patil): I can quite understand the anxiety of the hon. Members that the farmers who number quite some millions in the country should not suffer if it is possible for us to avoid their suffering. I think at the end of my speech, every Member will agree that what I am doing helps the farmer and he will get more. Many Members do not know as to what exactly is the formula and what they are talking about. My friend, Shri Prakash Vir Shastri, who made a very beautiful speech, also suffers from the same thing. He has not taken into consideration many things that have been done and published. Had he done so, he would not have come to the conclusion to which he has come.

Nowhere in the wide world, not only in India, sugarcane is paid merely for the stick. Everywhere in the world, sugarcane is paid on the sugar content, because it is the sugar that is to be paid for and not the stick. My friend, Shri Shastri says that for the dry stick, the price is more. If you take the bagasse and take the wet contents out of it, instead of Rs. 3-8-0 it would not be worth even 1 anna. It is

the water—60 or 70 per cent—which accounts for the weight of the sugarcane. Therefore, let us not compare something with the sugarcane. I would tell you scientificially how much of it is water.

I quite agree that there is nothing sacred that it must be done from this year or that year. But when it has got to be done, the emergency should not come in the way. As I have pointed out, because of the emergency, I have gone to the extreme, to which nobody would have gone, so that the farmer should not suffer. When I shall explain the formula, I shall convince even the people from Bihar and some parts of U.P., that even they will get ultimately more according to this formula apart from the incentive that we will give thereafter.

There is no agricultural produce in this country or anywhere else in the world which is not paid for according to quality. Let us take rice, wheat, jute, oil seeds, tea, coffee or millets. Let anybody say that the price is not paid according to quality, but according to the weight. Nowhere it is done. So far as cane is concerned, this question did not arise before, because the people used to pay and it was a transaction between the mills and the growers. They used to pay according to the quality something which was much less. Since the Government has started taking interest during the last 10 years, this industry has become very big and vital for India, where we earn—the total price of sugar I am talking, about Rs. 350 crores—and we also earn as much as Rs. 50 crores by way of excise duty. Out of it, we have to spend Rs. 25 crores because in the international market, for 5 per cent of the sugar, which means about 5 lakh tons, the price has got to be supported. Therefore, we are trying to do some kind of a scientific thing by which every grower shall get some incentive, because if he produces better and better type of sugarcane, he will get more and more.

I am increasing the incentive that is given to the farmer. Hitherto the incentive was nothing, because it was merely the weight of the sugarcane that was there. When we made it Rs. 1-5 Rs. 1-7 or Rs. 1-10, it was not because it was bad or good sugarcane but because we had to give something more; it was a blind incentive. That was the *andher nagari*. If there was any *andher nagari*, it was when we were really paying something without knowing what we were buying. Therefore, I want the farmer to get at least Rs. 2 per maund and that is possible by my system and not by the system of which the hon. Members have spoken. Unless I raise the price even of the sugarcane with 8 per cent recovery or 9 per cent recovery or with 13 per cent recovery, even the worst with the best of it, there cannot be any incentive that I am in a position to give to the cane grower, because I want that the cane grower should get increasing incentive both in the sugar content having risen and the per acre yield having risen. That is why scientificially I am solving this problem.

Sir, it is really a good thing for India that so far as sugarcane is concerned, we have turned the corner once for all. Instead of being a deficit country we have become a surplus country, and I can assure the House that India shall always maintain this position of a surplus country in sugar.

Not only that, in spite of all these difficulties, I have been able to sell during the last two years somewhere about 6 to 7 lakh tons of sugar bringing crores and crores of foreign exchange. In an emergency like this it is very vital and very important.

I want also that more and more sugarcane should be produced in the coming years with better sugar content. The yield per acre should be increased. If we are in a position to sell ten lakh tons or even up to a million tons, surely we can get Rs. 50 crores of foreign exchange which is very vital and very necessary for the country.

[Shri S. K. Patil]

Do the Members want that we should not make any progress at all, and in the name of emergency they tell me that we should do it if not this year at least next year after waiting for one year. I shall explain the formula and then you will find how much I have changed that formula.

Before doing that, I shall dispose of another argument. Many people ask: how do you distinguish between one sugarcane grower and another; one may be honest and the other may not have tried equally. What is that argument, I do not understand. What are we doing today? We are doing it in the whole country. At least from "country" I have brought it to the "area", to the "mill'. Today in the whole country, if a farmer really produces sugarcane which has quality sugar content, which is good sugarcane, he gets the same price as another farmer whose sugarcane has got merely water and bagasse and very little of sugar content. Therefore, from the "whole country", I have reduced it to the area of a mill. My hon. friend Shri Prakash Vir Shastri wants that we should go further and we should also encourage a particular farmer if he does something more. I assure him that I am doing that. It is being done in five mills today. If one farmer or several farmers grouped together in a co-operative society bring somewhere about 2½ tons to 3 tons of sugarcane—you cannot say that even for a maund it should be done, because it must be at least five minutes' crush in a mill and for five minutes crush in a mill it requires somewhere about 2½ tons to 3 tons of sugarcane—we give them a separate price. That is being introduced little by little. In a year or two you will find that it will be introduced everywhere. Today the country is paying, as I said, for water and bagasse and not for sugar content. Irrespective of the sugar content we are paying the price. Sugarcane is the only agricultural produce which is paid irrespective of quality.

Therefore, you will find that in the international market we suffer, in spite of the fact that we are good producers. It is not that we are bad producers. Even Uttar Pradesh is not a bad producer. Even Bihar is not a bad producer. I am telling you this because a comparison is not on all fours. You compare the sugarcane there with the sugarcane of Maharashtra. Many people do not know that in Maharashtra sugarcane is a crop of two years and not of one year as in Uttar Pradesh. Therefore, you must double the U.P. crop. If it is 15 tons in U.P., you must call it 30 tons when you compare it with Maharashtra. Then again, the cost of production in Uttar Pradesh, even according to the figures supplied by Shri Shastri, it does not go beyond Rs. 200 or Rs. 300 whereas in Maharashtra sometimes it goes to Rs. 750. When you spend more money, put more fertiliser and other things, make use of tractors etc., naturally you get more. Therefore, there is a proportion to that.

Again, in the Uttar Pradesh, sometimes it is possible that after taking a crop of sugarcane you can have another crop immediately. In the same year, you can have another crop, not of sugar but of something else, whereas in Maharashtra in two years you can get a little more crop. So, if you make out a total and calculate the expenses that are really incurred in both U.P. and Bihar on the one side and Maharashtra on the other, you will find that the difference does not remain as big as it is pointed out Therefore, it is not there.

I can understand what the members are suggesting. They are not opposed to the principle of linking the price of sugarcane to sugar. But they feel that if in this blind *raj* a sugar-cane grower was getting Rs. 1:62, he should not get less. I can understand their anxiety. I share it Therefore, I am trying to give as near as it so that they will not really suffer, as they are supposed to be.

The original formula was that the next year's crop should be paid on the basis of this year, whatever might be the recovery. But that formula was based on an entire season. As Shri Puri has pointed out, that begins in November and ends in May. If you take the whole season, then what happens? In November the recovery is the lowest. In April and May, again the recovery goes on fading and fading; ultimately, it is the lowest. Therefore, if you take the whole year, then naturally the average will be a little smaller. Under that, possibly, 5 or 6 nP would have been less, so far as U.P. and Bihar are concerned. Therefore, because of the appeals that have been made by many members—not here now but even before—I have changed that formula; I have altered it for this year. What I have said is that I shall not take the month of November. Neither would Shri Puri like it, because it ill mean that he will have to pay a higher price. Neither shall I take the months of April and May. I shall take the four months of December, January, February and March and based on the average of that I will calculate the price for the whole period.

Now may I ask my friends in Bihar, and my friend Shri Bibhuti Mishra in particular; did the cane-growers in Bihar get Rs. 1.62 for the whole period last year? I remember that from April to May the recovery went down very much and not only did they not get Rs. 1.62 but they did not get even Rs. 1. Therefore, if you take the whole period beginning with November and ending with the season, no farmer in Bihar has got Rs. 1.62 even according to the old formula; because, if the mills had to pay that much, they would not take that sugarcane, because it is dangerous to take it when it had no sugar content. Now, according to my formula, you take the average of four months and make it the price for the whole period; right from the beginning to end that price will have to be paid.

I will now point out to you that there is hardly any loss to anybody, either in UP or in Bihar because of this formula. Now most of the mills are being converted into co-operatives and if they make an effort to have excellent seed, excellent strains by which they can get more of recovery and also per-acre yield through irrigation, fertilisation and other things that are necessary in order to increase the per-acre yield, may be, instead of Rs. 1.62 each one will get Rs. 2.

I was wonderstruck when my hon. friend, Shri Deshmukh quoted the figure of 15. I do not know from where he got his figure but nowhere in the world is it really 15. I have visited that place more often than my hon. friend.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: *rose—*

Shri S. K. Patil: Nowhere in the world is it so. In Indonesia the figure has been 13 or 13:5; not even in Hawaii, not even in Pureto Rico is it 15, nor is it likely to be . . .

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: May I point out . . .

Shri S. K. Patil: No, he need not correct me. I will correct him. Because the recovery is more ethan 12 per cent—that is in Malegaon, not in Dahannokar's factory—the average per-acre yield is 80 tons. Just like Hawaii, in Maharashtra the average per-acre yield is 80 tons. Therefore, 80 tons of higher recovery makes for 10 tons of sugar per acre; not of sugar-cane.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: *rose—*

Shri S. K. Patil: No, I am not yielding. When I do not not yield, the hon. Member has to sit down.

Therefore, one need not have this idea. Then, he is talking of Marathwada. I can understand that Marathwada has not got the same position. I am talking of the other parts of Maharashtra. So far as Marathwala is concerned, I am doing my best to give a sugar factory. But if he really

[Shri S. K. Patil]

opposes things like that and says that he must get 15 per cent, then who on earth will recommend a sugar factory in such a place? I do not know what the yield in Marathwada is, but that is not the question.

Therefore the question today is this. The formula that we have evolved I have amended because of the appeal of the people. People complained that their average will not be during the whole season but the average will be from December to March. I have gone further and made further amendments. When more people said, "No; even then we shall get a little less", I said, " I will give you a little more". Therefore I have said that from 9:8 per cent recovery, I am giving Rs. 1·62. But 9·7 could get a little less, so I say that if you make 9.71, I would regard it as 9.8 and will pay you accordingly. Therefore the hundredth part I have made it at Rs. 1·10. Now, the House will realise what arithmetically it means. If your recovery is 9.61, it is regarded as 9.7; if it is 9.71, it is regarded as 9.8; but not afterwards because afterwards I have to pay more. Therefore it will be paid according to what the recovery is. What the result of it will be. When all these things are done, when the season is changed, as I have said, when the basis is changed, you will find that there will be no difficulty at all.

Many people have argued that because the mill-owner is always a bad man, he must be hammered. They may be bad men, I do not know, but they are sufficiently thick-skinned and it is impossible to hammer them. But it is not the mill-owner that I am looking at. We must improve our machinery so that the cane grower should not be defrauded of his legitimate profit to which he is entitled. Therefore what have we done? It is not left to the mill-owner alone. It is to be the mill-owner and the Government because the excise man is sitting there all the time. Then I am associating with it the trade unions also. Let the trade union man constantly sit there whenever the recovery is made as also the cane growers' representative. So, with the trade union's representative, the cane growers' representative, the mill-owner's representative and the Government's representative, where is the chance for any *andher nagari* in this business when four people with all these telescopes constantly watch as to what is going to be the effect of this sugar? There is no chance whatsoever for anything to be done. But there is a chance. What will happen hereafter is this.

As Shri D. D. Puri has pointed out and somebody else has also pointed out, even in the same area there may be difference. Why in the same area? I would give you one example: I had gone to see an experimental farm in the United Kingdom, that is, the Rothemstead Farm. It is one of the best in the world. It is being run now for the last 160 years. They have got a plot of eleven acres and in each acre they have different strains of wheat. From acre to acre in the same plot the yield is different. Sometimes it it a difference which is too big. It is in order to prove what blend of fertiliser produces a better strain and a better yield so far as wheat is concerned. They have gone to the extent of producing on one acre something like 75 hundredweights of wheat, that is, nearly 3 3|4 tons of wheat per acre Therefore it is no wonder that hon. Members should tell me here that between three and six miles this is the change. I am telling them that between one acre and another this is the change. Within eleven acres things change because of the fertiliser and because of the care that a particular farmer gives to his farm.

Therefore you will find that in all these things it is the farmer that counts along with the technical details, that is, there must be sufficient irrigation, there must be sufficient fertiliser, there must be proper

plant food and so on, the storage must be given, it must be planted at a particular time, it must be cut at a particular time and so on. There are all these thousand and one processes in the sugarcane industry. If you do that, surely the results will be better. Therefore I cannot understand how the emergency comes into the picture at all.

Is anybody suffering at all? The Governments concerned, that is, all the Governments in India except those of UP and Bihar, have agreed and UP and Bihar also will do so when they are shown this new formula. I have received no complaint whatsoever from the Governments themselves, but hon. Members feel that somehow or other the interests of the farmers are not really looked after by the Minister or the Ministry concerned.

I would tell them one thing. Not because I boast or tell them this. Any Minister would be unwise and a mad Minister in this country, if, in an emergency, he does not take 100 per cent co-operation of the farmers. It is the farmers that are going to win this war as well as the soldiers who are going to win it. Because, unless this food front is satisfactory, unless everybody is satisfied produces more, unless there are sufficient incentives given to the farmers, it is not going to help.

Somebody was saying, supposing in some mill, something less is paid, what happens? Where does the money go? You can understand the money does not go into the pocket of the mill-owner. I know how to take that money. Because, after that, an account is made. Any excess profit that is shown, that has got to be shared. Seventy per cent of it has to go to the cane grower.

My hon. friend here raised the same old problems: what about bagasse, what about molasses, what about this, what about that and the oft-trumpeted argument of my friend Shri Bibhuti Mishra was how is molasses sold here, how it is sold there. He has not seen the formula which this House passed some days ago. It is not only this; there are about 8 to 10 by-products out of sugar. Every bit of it is taken into consideration, accounted for and the cost is added and the profit has been shown, so, that that profit the mill-owner has got to share. That is the formula that we have passed only some days back.

The hon. Member Shri Prakash Vir Shastri said to which Shri D. D. Puri replied, that in India we get the lowest price for sugarcane. His information was wrong. I will give the figure of what he gets. You should take away the taxes. Taxes are knowingly put. The Government puts them. I told you that the Government gets Rs. 50 crores in excise duty. Possibly the other local taxes may be several crores also. If you remove the taxes and take the pure price without taxes, out of the price, 70 per cent goes to the sugarcane grower. Seventy per cent. India is the only country that pays the highest to the cane grower in proportion to the total yield or total profit or whatever it is. If anything more is to be paid, that also we pay. In other countries it is not paid. We pay. How do we pay? If the mill-owners make any profit—that profit also is according to the schedule which we have declared and which we have passed—that has got to be calculated. All other by-products have to be added. Everything has got to be added and ultimately the sum total has to be a arrived at. Therefore, it becomes more than 70 per cent also because other things are added, as Shri S. M. Banerjee said, U. P. alone has got to pay, etc.

Other elements have been brought into this discussion that some people have not paid. These are different things, although I do not say that they are not germane to this particular debate. There are bad mill-owners; there are good mill-owners. I know there are about 10 or 20 mills like that which are bad: not only in composition, but the management also is bad. As a

[Shri S. K. Patil]

result of that, the cane growers suffer. There is a remedy for that. If they become sufficiently bad, I take it over and appoint Government machinery. Where Government machinery is appointed, I have found by experience that many of the factories which had never paid any dividend or profits, start making profits because the Government is not interested in it except that it should work satisfactorily and the cane grower should not suffer. All these other things have come in. They do not arise out of this particular linking of the price with the sucrose content of the sugarcane. But, they are general. They would be looked into.

I would like to pin-point what exactly is going to be done. There is a famous Dutchman, whose by remarks on this question are very worth noting. They are very brief and therefore I am quoting him. He says:

> "Sugarcane in India is paid on the basis of weight irrespective of quality. In a crop containing 10 per cent recoverable sugar, the remaining 90 per cent is made of water and fibre plus a negligible amount of other organic and inorganic compounds.

One can see, compared with lakkadi at Rs. 3-8-0, it is 10 per cent of the sugarcane which is really sugar and the rest of it is water etc. That is exactly what we pay for.

> "Under the system in force, a unified price is paid for the cane whether it contains 6 or 12 per cent recoverable sugar. Thus the same price is paid for water, bagasse as for sucrose."

Therefore, this has been the most un-scientific way in which the price is paid. Therefore, Committee after Committee, Commission after Commission have gone into this and made recommendations. The Gopalkrishnan Committee said that the price must be linked with that.

Then, there was the Tariff Commission which went into it. In fact, there is no committee that we have appointed which has not come to the unanimous verdict that hereafter this unscientific thing would not do. We have to link this with the sucrose content of the sugarcane. So, the Tariff Commission had suggested that from 1962-63 when the control and other things go, everything will go wrong unless in time we link the two together. Therefore, we had to hurry up in linking the price, so that the cane-grower is not defrauded or he does not get less than what he is getting today.

Then, I shall point out how much the mills are getting or are losing, because hon. Members are interested in knowing that also. In UP, which has got about 70 or 71 factories, 18 factories out of 71 will pay a higher price. UP is not uniformly bad. There are factories in UP which are very nearly like those in Maharashtra; there, the cane-grower will get not only Rs. 1·62 but he will have somewhere about Rs. 1·71 or Rs. 180 or Rs. 1·85. There are such factories. What can be done in one factory surely can be done by another factory also, if the same methods are followed. Then, in Bihar, 7 out of 28 will pay a higher price. The average price payable in UP ultimately will be Rs. 1·59, and the average price in Bihar will be Rs. 1·57. This is the average price only. When I talk of the average, my hon. friends must not forget that even in November, and even in April and in May, when the distress price comes to nearly one rupee, if you calculate over the whole year, you can never get more than Rs. 1·59 or Rs. 157. Therefore, this is not something of a damage which I am doing.

Shri D. N. Tiwary: Last year was an exception. That is not so always.

Shri S. K. Patil: Next year auso will be an exception because no sane man or mill is going to take our sugar-

cane if the sucrose content goes down to 7 per cent or 8 per cent, because it will be dangerous for him or for them to take it. Therefore, a beginning has to be made. Now, it may be said that some people may suffer. Even assuming that some people will suffer, say, five per cent suffer a little bit, say, to the tune of four or five naya paise, we should not forget that 95 per cent will still get more. In Maharashtra they are getting more today. They get more than Rs. 2 or Rs. 2·2·0 or Rs. 2·3·0; the average there is about Rs. 2·4·0. Also, in Andhra Pradesh or in Mysore, the average is more than Rs. 1·62. It is only a question of some mills in Bihar and in UP.

Therefore, I want to prove that if they also try and improve their per-acre yield and also increase the sucrose content, they will get more. I am also introducing improved methods. In fact, in two mills in UP they have already introduced them. If you bring about 2½ to 3 tons of sugarcane by means of a co-operative or with the help of two or three farmers joining together who are really going ahead, and who are progressive type of farmers, who use better methods of cultivation, better techniques, better fertilisers and so on and get a yield with a higher content, then that would be a good thing.

My hon. friend imagines that all this thing is done in a laboratory. This is not done in any laboratory; this is done actually in the mill. When the sugarcane comes there, it is weighed; then the sugar is weighed, and the contents are found. I have got there a machinery consisting of four people who will be constantly watching and seeing that no fraud is committed and nothing is done by which the mill-owner or anybody else gets any advantage out of it.

Therefore, the House will realise that this is the method that we are following, and if we follow that, not only is there nothing wrong in it, but ultimately it will help the industry. India will be scientifically placed on the soundest footing so far as the sugar industry is concerned, and we shall have positively turned the corner, and the better it will be for us, and we shall also get crores and crores of rupees in foreign exchange.

I understand the feelings of my hon. friends. After my explanation, I hope that there would be no doubt left in anybody's mind, and everybody will be convinced that this is not done in order to punish anybody.

There is one amendment by my hon. friend Shri Bibhuti Mishra. But after this explanation from me, I hope he will be kind enough to withdraw his amendment. There is no harm and there is no danger to anybody. After working this for one year, ultimately I am sure he will come to congratulate me for what I have done. But, if in spite of this, he finds that by this method anybody has suffered,—by this method, not by other methods—I am prepared to consider and reconsider the matter a hundred times. After all, there is no rigid attitude on the part of anybody. This has been done in order to do it in a scientific manner.

श्री ब्र० प्र० सिंह (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या खाद्य मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है कि एक प्रकार का ऊख जिसकी पैदावार का वजन अधिक होता है और रिकवरी कम होती है और इनफीरियर क्वालिटी की शुगर होती है और एक प्रकार का ऊख जिसकी कि पैदावार का वजन कम होता है लेकिन रिकवरी ज्यादा होती है और उसकी शुगर भी सुपीरियर क्वालिटी की होती है ? क्या इन दोनों प्रकार के ऊखों के मूल्यों में कोई अन्तर रखने की बात उन्होंने सोची है ?

श्री स० का० पाटिल : मैंने बताया ऐसा तो होगा नहीं । जो दो, ढाई टन गन्ना एक, दो मिल लेवे तो ऐसा बन्दोवस्त किया जाये मिल में उसका एक परसेंटेज वगैरह

[श्री स० का० पाटिल]

निकाला जाये और उस परसेंट की बेसिस पर उसको पैसा मिलेगा और यह इसलिये किया जायेगा ताकि जो प्रोग्रेसिव फारमर हैं उसको इसमें कोई हानि न हो।

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh: The 15 per cent yield is in Dahanukar's farm, not in Dahanukar's factory.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य तथा कृषि मंत्री जी के इस भाषण को सुनने के पश्चात् और किसानों के प्रति जो आत्मीयता भरी कुछ घोषणायें उन्होंने की हैं उसके लिये जहां मैं उनको वधाई देना चाहता हूं वहां साथ ही साथ पुनः मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं जिससे वे एक बार अपने निर्णय पर विचार करें।

अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि प्रकाशवीर शास्त्री यह कहते हैं कि तीन, तीन मील के ऊपर मिलों के भावों में अन्तर क्यों किया गया। अब एक एकड़ में भी अगर किसान कुछ में खाद न दे या पानी लगाये तो एक एकड़ में ही अन्तर हो जाता है। मैं स्वयं एक किसान बापू का बेटा हूं और मुझे इन तमाम स्थितियों की जानकारी है कि तीन, तीन मील में जब वही नहरें हैं, वही खाद देने का ढंग है और वही किसानों का परिश्रमी स्वभाव है लेकिन इतना सब कुछ होने के पश्चात् भी अभी जिस प्रकार से आप अपने भाषण के प्रवाह में यह कह गये कि उत्तर प्रदेश में १ रु० ८१ नये पैसे और १ रु० ८५ पैसे तक भाव है। सो १ रुपये ८१ भी वहां नहीं और न ८५ ही हैं। हाल तो भाव बहुत छोटे हैं और उनमें भी मैं कहना चाहता हूं कि तीन, तीन मील के अन्तर पर, बिना कारण के भाव बदले गये हैं एक सदस्य मित्र कर्नाटक से जो बैठे हुये हैं उन्होंने कहा कि नदी के इस पार एक भाव है और नदी के दूसरे किनारे पर दो फर्लांग के फासले पर दूसरा भाव वहां भी हो जाता है। इसमें थोड़ा और गहराई में जाने का यत्न किया जाये। यह केवल रिकवरी के आधार पर नहीं है बल्कि जो मशीनरी है रिकवरी बताने वाली उसके मस्तिष्क का परिणाम भी हो सकता है।

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि आपने यह कहा कि देश की अपेक्षा क्षेत्र छोटा होता है जब देश के भाव लग सकते हैं तो अगर क्षेत्रों को लोग सब मिल कर बांट लें और कोआपरेटिव ढंग पर गन्ना तैयार करें तो अच्छा हो। तो क्या मैं पूछ सकता हूं इस स्कीम को लागू करने के पीछे कोआपरेटिव फार्मिंग की घोषणा जो गवनमेंट ने की है वह तो आप के मस्टिष्क में छिपी हुई नहीं है ? अगर वह भावना छिपी हुई है और उसको ऐसे ढंग से लाना चाहते हैं तो भी स्पष्ट भाषा में आप देश को बतलाइये ताकि उस आधार पर देश सोचना शुरू करे . . .

श्री स० का० पाटिल : दो, ढाई टन गन्ना दो, तीन आदमी बना सकते हैं। उसमें कोई कोआपरेटिव सोसाइटी की जरूरत नहीं है। मेरे मस्तिष्क में वह चीज नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : एक मिल में एक मन गन्ने का रस निकाल कर उसके आधार पर मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता यह ठीक है लेकिन जिस तरीके से इंडोनेशिया में है कि एक किसान का बहुत बड़ा फार्म है। उसको पूरी सुविधायें दी जाती हैं और एक बार में ही उसका गन्ना ले लेते हैं फिर उसकी रिकवरी के आधार पर उसकी कीमत दे दी जाती है तो फिर मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की सुविधायें भारत में भी आप किसानों को

दें तो मैं समझता हूं कि उसमें एक अच्छी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

अन्तिम बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मैंने यह चाहा था कि आप संभव हो तो इस बात का उत्तर भी दें कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में गन्ने से होने वाली सरकारी आमदनी का ३६० करोड़ रुपये अनुमान लगाया है यानी ३ अरब और ६० करोड़ रुपया । गन्ने की उन्नति के लिये जो रकम आपने निर्धारित की है वह केवल १ अरब रुपया है । २ अरब और ६० करोड़ रुपया सरकार अपने खजाने में रखना चाहती है । उसमें भी हर प्रांत की स्थिति भिन्न-भिन्न है । जिस समय सरकार ने गन्ने के ऊपर सैस लगाया था उस समय घोषणा की थी कि इससे जितना भी पैसा आयेगा वह सब किसानों के गन्ना उत्पादन या उसके डेवलपमेंट पर खर्च किया जायेगा । लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिये पीछे भी बतलाया था कि ऐसे आपके आंकड़े बताते हैं कि ३६ करोड़ रुपया आपको आया और १० करोड़ रुपया केवल व्यय किया गया । अपने उत्तर प्रदेश की ही बात बतलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जितना सैस लेती है और उसके बाद केन डेवलपमेंट पर जो खर्च करती है वह ३७ रु० पै० प्रति एकड़ है । पहले तो मिलों के भावों में अन्तर फिर सरकार इतना पैसा लेकर और जिसके लिये वह प्रतिज्ञा कर चुकी है कि इतना पैसा हम केवल गन्ने के विकास पर लगायेंगे, उसमें हाथ खींच कर काम करती है ।

दूसरी जरूरी बात मुझे यह भी निवेदन करनी है कि जहां किसान मिलों पर अपना गन्ना ले जाते हैं और उनके लिये आपने १ रुपये १० आने या १ रुपये ८ आने का भाव नियत किया है तो उसमें इतना तो कम से कम अवश्य करें जैसा कि हमारे किसान को बैलगाड़ी लिये हुये मिल के दरवाजे पर खड़े खड़े, दो दिन हो जाते हैं और ठंड में खड़े हुये किसान के बैलों का जीवन आधा हो जाता है और फिर उनके साथ मनुष्य को भी कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है । किसान मिल के दरवाजे पर अपना गन्ना लेकर जब आये तो जरूरत इस बात की है कि उसको ठंड के मौसम में मिल के दरवाज पर बैलों को लेकर दो दिन इंतजार न करना पड़े ।

तीसरी एक सबसे जरूरी बात यह है कि आप क्यों नहीं इस प्रकार का निर्देश मिलों को दें अगर वह यह नहीं कर सकते कि खेत से गन्ना लेना आरम्भ कर दें तो कम से कम मिल जिस एरिया में है उस ऐरिया में सड़कों का इतना जाल बिछा दिया जाये कि कच्ची सड़कों पर जिसमें बैलों को बैलगाड़ी खींचने में काफी दिक्कत पड़ती है और जिससे बैलों की आयु आधी रह जाती है, वह दिक्कत हट जाये । सिंचाई की ओर भी अन्य जिस प्रकार की सुविधायें उन्हें आप दे सकते हैं वे भी दें । जब आप यह शुगरकेन का नया फारमूला बनाने जा रहे हैं तो कम से कम उसके साथ एक ऐसा भी फारमूला तो निश्चित किया जाये जिससे किसान और उसके बैलों की कठिनाई बचे ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने एक अच्छा आश्वासन दिया है और यह कहा है कि हम ऐसा करेंगे कि रीकवरी का पता लगाने के लिये जहां मिल के प्रतिनिधि हों, सरकार के प्रतिनिधि हों, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि हों, वहां केन-ग्रोअर्ज के भी प्रतिनिधि हों । पर मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि यह सब व्यवस्था होते हुये भी किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ है । इस संबंध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि केन-ग्रोअर्ज के प्रतिनिधियों को सरकार एप्वायंट न करे और न ही मिल मालिक यह कहें कि अमुक आदमी गन्ने वालों का प्रतिनिधि रहेगा, बल्कि गन्ने

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

वालों को यह पूछा जाये कि वे किस को अपना प्रतिनिधि रखना चाहते हैं ।

Shri S. K. Patil: I would do that.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ठीक है । अगर ऐसा किया जायेगा, तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में कुछ न्याय हो सकेगा । जैसाकि मैंने आरम्भ में कहा है, उसे दोहराता हूं कि वर्तमान में परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं हैं कि सरकार किसानों को इस बारे में तत्काल बाधित करे । यह तो शांति काल में बड़े स्थिर मस्तिष्क से सोचने की बात है । इस लिये अभी इसको कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विभूति मिश्र, आप अपनी अमेंडमेंट के बारे में क्या चाहते हैं ?

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दो बातों की क्लैरिफिकेशन चाहता हूं ।

एक ही जिले में—हमारे जिले में—पांच तरह की रीकवरी है और पांच तरह की कीमत रखी हुई है । रिजर्व एरिया के किसान को कहीं दो आने कम मिलेगा और कहीं एक आना कम मिलेगा । उसके बारे में माननीय मंत्री जी का क्या आश्वासन है ?

उन्होंने कहा है कि रीकवरी की देखभाल के लिये चार तरह के आदमी रखेंगे । मिल वाले जो रीकवरी निकालते हैं, उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं होता है । माननीय मंत्री जी उसके बारे में क्या आश्वासन देते हैं ?

श्री स० का० पाटिल : मैंने चार आदमियों की बात कही है । गवर्नमेंट का आदमी तो वहां एक्साइज के लिये होता है और मिल का आदमी भी होता ही है । उनके साथ ही ट्रेड यूनियन का और गन्ने वालों का आदमी भी होना चाहिये । मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट उनको नियुक्त न करे, बल्कि वे खुद चुन कर भेजें और हम उनको मान्यता दें । मैं यह नहीं चाहता कि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो, जिसमें रीकवरी को कम बताने की कोशिश की जाये और किसी का नुकसान हो । जहां तक रिजर्व एरियाज का ताल्लुक है, मैं उसके बारे में देखूंगा ।

श्री विभूति मिश्र : माननीय मंत्री के आश्वासन के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: There is an amendment by Shri Mishra. Has he the leave of the House to withdraw his amendment?

Hon. Members: Yes.

The amendment was, by leave, withdrawn.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House takes note of the fixation of price of sugarcane on the basis of production of sugar."

The motion was adopted.

16.58 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock on Wednesday, November, 28 1962/Agrahayana 7, 1884 (Saka).